



1

राज्य सरकार के वित्त



# 1

## jkt; | jdkj ds forr

यह अध्याय राज्य सरकार के वर्ष 2017-18 के वित्त का लेखापरीक्षित परिदृश्य प्रस्तुत करता है एवं विगत पाँच वर्षों की अवधि में समग्र संघटकों को ध्यान में रखते हुए मुख्य राजकोषीय समूहों का वर्ष 2016-17 की तुलना में परिवर्तनों का समीक्षात्मक विश्लेषण करता है।

यह समीक्षा उत्तर प्रदेश (राज्य सरकार) राज्य के वित्त लेखे में सम्मिलित आंकड़ों पर आधारित है। राज्य का परिदृश्य /f/f'k"V 1.1 में दर्शाया गया है।

### 1.1 | dy jkt; ?kj sy mRi kn (l -jk-?k-m-)<sup>1</sup>

वर्तमान तथा स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011-12) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) तथा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की वार्षिक प्रवृत्तियों को | kj . kh 1.1 में दर्शाया गया है।

| kj . kh 1-1% Hkkj r dk | dy ?kj sy mRi kn , oajkt; dk | dy jkt; ?kj sy mRi kn

fooj . k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
भारत का वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,12,33,522	1,24,67,959	1,37,64,037	1,52,53,714	1,67,73,145
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.97	10.99	10.40	10.82	9.96
राज्य का वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	9,40,356	10,11,790	11,37,210	12,50,213	13,75,607 <sup>2</sup>
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	14.3	7.6	12.4	9.9	10.0
राज्य का स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	8,02,070	8,34,432	9,07,700	9,74,120	10,36,149
स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	5.8	4.0	8.8	7.3	6.4

(स्रोत: सकल घरेलू उत्पाद/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े दिनांक 28.08.2018 को भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये)

शासकीय लेखे की संरचना /f/f'k"V 1.2 ds HkkX&v और वित्त लेखे का प्रारूप HkkX&c में दर्शाया गया है।

<sup>1</sup> सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद दिये गये समयावधि में देश एवं राज्य में उत्पादित सभी आधिकारिक रूप से मान्य अन्तिम सामग्रियों एवं सेवाओं का बाजार मूल्य होता है तथा देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेतक है।

<sup>2</sup> राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया (जून 2019) कि वर्ष 2017-18 हेतु राज्य के प्रक्षेपित (01.08.2017) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान ₹ 13,78,643 करोड़ है। तथापि भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 28.08.2018 को जारी किये गये पुनरीक्षित आंकड़े इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये हैं।

## 1.2 jkt dk'kh; yu&nuk; dk | kj kd k

| kj . kh **1.2** एवं | kj . kh **1.3** में राज्य सरकार के वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 तक के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रदर्शित है। /f/f'/k"V **1.3** वर्ष 2017-18 की प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ-साथ समग्र राजकोषीय स्थिति को प्रस्तुत करता है।

| kj . kh **1.2%** o"kl **2013-18** dh vof/k e॥ i kfirk; kः dk | kj kd k

₹ djkm+e॥

fooj . k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	0k"kl 2016-17 ds l ki sk 2017-18 e॥ ifr'kr of)
<b>Hkkx&amp;v %jktLo</b>						
jktLo i kfirk; kः	<b>1,68,214</b>	<b>1,93,422</b>	<b>2,27,076</b>	<b>2,56,875</b>	<b>2,78,775</b>	<b>8.53</b>
स्वयं का कर राजस्व	66,582	74,172	81,106	85,966	97,393	13.29
स्वयं का कर राजस्व/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)	39.58	38.35	35.72	33.47	34.94	1.47
स्वयं का करेतर राजस्व	16,450	19,935	23,135	28,944	19,795	(-)31.61
स्वयं का करेतर राजस्व/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)	9.78	10.31	10.19	11.27	7.10	(-)4.17
संघीय करों/शुल्कों का अंश	62,777	66,623	90,974	1,09,428	1,20,939	10.52
भारत सरकार से अनुदान	22,405	32,692	31,861	32,537	40,648	24.93
<b>Hkkx&amp;c % i thxr , o॥ vU;</b>						
i thxr vuHkkx ds vUrxlr fofok i kfirk; kः	-	-	-	-	-	-
—.k , o॥ vfxek; dh ol yh	<b>589</b>	<b>262</b>	<b>726</b>	<b>259</b>	<b>236</b>	<b>(-)8.88</b>
vUr% l jdkj l ek; kstu ys[kk	-	-	-	-	-	-
yksd __.k i kfirk; kः	<b>14,900</b>	<b>35,520</b>	<b>74,514</b>	<b>67,685</b>	<b>47,417</b>	<b>(-)29.94</b>
vkdfLedrk fuf/k	<b>262</b>	<b>1</b>	<b>201</b>	<b>173</b>	<b>258</b>	<b>49.13</b>
yksd ys[kk i kfirk; kः	<b>2,26,078</b>	<b>2,30,199</b>	<b>2,65,972</b>	<b>3,06,406</b>	<b>3,20,471</b>	<b>4.59</b>
i kj fEHkd jkdm+vo'ksk <sup>3</sup>	<b>15,218</b>	<b>4,066</b>	<b>(-)356</b>	<b>(-)157</b>	<b>944</b>	<b>701.27</b>
; kx	<b>4,25,261</b>	<b>4,63,470</b>	<b>5,68,133</b>	<b>6,31,241</b>	<b>6,48,101</b>	<b>2.67</b>

(चोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2017-18 में सरकार की स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ कुल राजस्व प्राप्तियों का 42.04 प्रतिशत था। अग्रेतर, कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष कर राजस्व का अंश वर्ष 2013-14 के 39.58 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017-18 में 34.94 प्रतिशत हो गया जबकि करेतर राजस्व का अंश वर्ष 2013-14 के 9.78 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 11.27 प्रतिशत हो गया था परन्तु वर्ष 2017-18 के दौरान यह सात प्रतिशत तक घट गया। वर्ष 2017-18 के दौरान करेतर राजस्व में कमी का मुख्य कारण शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति शीर्ष के अधीन प्राप्तियों की लेखांकन प्रक्रिया में परिवर्तन था जैसा कि ।।।।। 1.4.1.1 में दर्शाया गया है।

<sup>3</sup> प्रारम्भिक एवं अन्तिम रोकड़ शेष में उदिदष्ट निधियों में निवे"। की धनराणी सम्मिलित है जबकि विगत वर्षों के प्रतिवेदन में दर्शाये गये रोकड़ अव"षों में उदिदष्ट निधियों में निवे"। की धनराणी सम्मिलित नहीं है।

fooj . k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	Ok"kl 2016-17 ds l ki sk 2017-18 ei ifr'kr of)
<b>Hkkx&amp;v % jktLo</b>						
jktLo 0; ;	<b>1,58,147</b>	<b>1,71,027</b>	<b>2,12,736</b>	<b>2,36,592</b>	<b>2,66,224</b>	<b>12.52</b>
सामान्य सेवायें	61,984	64,305	72,228	88,255	1,05,782	19.86
सामाजिक सेवायें	60,756	60,906	82,487	91,861	84,252	(-)8.28
आर्थिक सेवायें	25,711	34,885	47,881	45,834	64,635	41.02
सहायता अनुदान एवं अंशदान	9,696	10,931	10,140	10,642	11,555	8.58
<b>Hkkx&amp;c % i thxr , o vU;</b>						
i thxr 0; ;	<b>32,863</b>	<b>53,297</b>	<b>64,423</b>	<b>69,789</b>	<b>39,088</b>	<b>(-)43.99</b>
I forfjr __.k , o vfxe	<b>1,473</b>	<b>1,873</b>	<b>9,118</b>	<b>6,741</b>	<b>1,509</b>	<b>(-)77.61</b>
vU% I jdkj l ek; kstu ys[kk	-	-	-	-	-	-
ykad __.kka dh vnk; xh	<b>8,167</b>	<b>9,411</b>	<b>17,673</b>	<b>20,303</b>	<b>15,002</b>	<b>(-)26.11</b>
vkdfLedrk fuf/k dks fofu; kx	<b>87</b>	<b>203</b>	<b>44</b>	<b>349</b>	<b>413</b>	<b>18.34</b>
ykad ys[kk I forj .k	<b>2,20,459</b>	<b>2,28,014</b>	<b>2,64,294</b>	<b>2,96,523</b>	<b>3,14,384</b>	<b>6.02</b>
vflure jkdM+vo' k"k	<b>4,066</b>	<b>(-)356</b>	<b>(-)157</b>	<b>944</b>	<b>11,481</b>	<b>1,116.21</b>
; kx	<b>4,25,262</b>	<b>4,63,469</b>	<b>5,68,131</b>	<b>6,31,241</b>	<b>6,48,101</b>	<b>2.67</b>

(ज्ञात: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्तमान मूल्य एवं स्थिर मूल्य के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों/राजस्व व्यय/पूँजीगत व्यय को I kj . kh 1.4 में दर्शाया गया है।

I kj . kh 1.4% I dy jkT; ?kjywmRi kn ds l ki sk jktLo ckflr@  
jktLo 0; ; @i thxr 0; ; dh cofuk

fooj . k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>I dy jkT; ?kjywmRi kn ds l ki sk jktLo ckflr</b>					
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्ति (₹ करोड़ में)	1,68,214	1,93,422	2,27,076	2,56,875	2,78,775
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.29	14.99	17.40	13.12	8.53
स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्ति (₹ करोड़ में)	1,43,478	1,59,523	1,81,255	2,00,152	2,09,984
स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.66	11.18	13.62	10.43	4.91
राजस्व प्राप्ति/वर्तमान एवं स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	17.89	19.12	19.97	20.55	20.27
<b>I dy jkT; ?kjywmRi kn ds l ki sk jktLo 0; ;</b>					
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	1,58,147	1,71,027	2,12,736	2,36,592	2,66,224
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.38	8.14	24.39	11.21	12.52

fooj .k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	1,34,892	1,41,053	1,69,808	1,84,348	2,00,530
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	3.97	4.57	20.39	8.56	8.78
राजस्व व्यय / वर्तमान एवं स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	16.82	16.90	18.71	18.92	19.35
वर्तमान मूल्य पर पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	32,863	53,297	64,423	69,789	39,088
वर्तमान मूल्य पर पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	37.88	62.18	20.88	8.33	(-)43.99
स्थिर मूल्य पर पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	28,031	43,956	51,423	54,378	29,443
स्थिर मूल्य पर पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	27.56	56.81	16.99	5.75	(-)45.85
पूंजीगत व्यय / वर्तमान एवं स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	3.49	5.27	5.67	5.58	2.84

- वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 की अवधि में राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय आरोही प्रवृत्ति की थी। यद्यपि वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 में राजस्व प्राप्तियों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के सापेक्ष वृद्धि हुई तथापि वर्ष 2017-18 में घट गई, जबकि वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 की अवधि में मुद्रास्फीति को गणना में लेने के बाद भी राजस्व व्यय में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में वृद्धि हुई।
- वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 की अवधि में पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई परन्तु वर्ष 2017-18 के दौरान इसमें 44 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अग्रेतर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष पूंजीगत व्यय वर्ष 2013-14 के 3.49 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2017-18 में 2.84 प्रतिशत रहा। वर्ष 2017-18 के दौरान पूंजीगत व्यय में कमी का कारण था कि वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में क्रमशः ₹ 6,083 करोड़ एवं ₹ 3,700 करोड़ का व्यय 'उदय'<sup>4</sup> हेतु किया गया था जबकि वर्ष 2017-18 में ऐसा कोई व्यय नहीं था। अग्रेतर, कुछ योजनाएं वर्ष 2017-18 में परिचालन में नहीं थीं जिसके कारण पूंजीगत व्यय में कमी हुई यथा भारत नेपाल सीमावर्ती जनपदों में सड़क, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे एवं समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे सड़क निर्माण। इसके अतिरिक्त, लघु एवं सीमान्त कृषकों के ऋण माफी हेतु ₹ 36,000 करोड़ का अत्यधिक बजट प्रावधान किये जाने के कारण वर्ष 2016-17 (₹ 71,878 करोड़) की तुलना में वर्ष 2017-18 (₹ 53,258 करोड़) में पूंजीगत व्यय हेतु बजट प्रावधान में 26 प्रतिशत की कमी की गई थी।

<sup>4</sup> उज्जवल डिस्कॉम्स ए”योरेंस योजना (उदय) नवम्बर 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी, जिसके अन्तर्गत 30 सितम्बर 2015 को डिस्कॉम्स के ऋण का 75 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था (वर्ष 2015-16 में 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2016-17 में 25 प्रतिशत)।

### 1.3 जैकेट दक्षिणी फ्लैट्स के बजट | एक्सेस

वर्ष 2017-18 में चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों, बजट अनुमान, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबन्धन (उ.प्र.एफ.आर.बी.एम.) एवं मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति (एम.टी.एफ.आर.पी.) द्वारा निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लक्ष्य के सापेक्ष राज्य की उपलब्धि | के 1.5 में प्रदर्शित है।

| के 1.5% का 2017-18 एक्सेस दक्षिणी फ्लैट्स का


जैकेट दक्षिणी फ्लैट्स के बजट	प्रतिशत वर्ष 2017-18	मौजूदा वर्ष 2017-18	प्रतिशत वर्ष 2017-18	वर्ष 2017-18 का अधिकारीय बजट
राजस्व घाटा (-) / आधिकारीय (+) (₹ करोड़ में)	शून्य घाटा	शून्य घाटा	₹ 12,279 करोड़ का आधिकारीय बजट	₹ 12,552 करोड़ का आधिकारीय बजट
राजकोषीय घाटा (-) / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	3.25	तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	2.97	2.02
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल बकाया ऋण अनुपात (प्रतिशत में)	32.44	30.50	28.60	34.01

(स्रोत: राज्य सरकार का बजट प्रपत्र, चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन, उ.प्र. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 एवं उ.प्र. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (संशोधित) अधिनियम, 2016)

यद्यपि राज्य द्वारा ₹ 12,552 करोड़ का राजस्व आधिकारीय प्राप्त किया गया परन्तु इसमें ₹ 6,341 करोड़ की अतिशयता रही। इसी प्रकार, राजकोषीय घाटे (₹ 27,810 करोड़) में भी ₹ 6,405 करोड़ की न्यूनता रही, जैसा कि चार्ट 3.8 में वर्णित है।

वर्ष 2017-18 में स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटे का अनुपात बजट अनुमान, एम.टी.एफ.आर.पी. एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अन्दर रहा। अग्रेतर, राज्य के राजकोषीय घाटे में वर्ष 2016-17 (2016-17 में उदय के प्रभाव को हटाने के पश्चात) की तुलना में 32 प्रतिशत की कमी हुई। यद्यपि, यह पूँजीगत व्यय में कमी के आनुषंगिक था जिसमें वर्ष 2016-17 की तुलना में मैं 44 प्रतिशत की कमी हुई, जैसा कि चार्ट 1.1 में प्रदर्शित है।

चार्ट 1.1: वर्ष 2017-18 में पूँजीगत व्यय में कमी करते हुये राजकोषीय घाटे को नियन्त्रण में रखा जाना



### 1.3.1 jkt dk<sup>kh</sup>; ?kkVs dk | &kVu , oaf orri k<sup>kh</sup>.k

राजकोषीय घाटा, राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों से राजस्व एवं पूँजीगत व्यय (ऋण तथा अग्रिमों के सहित) के आधिक्य को पूरा करने के लिए राज्य की कुल (मुख्यतः रोकड़ के आहरण तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अवशेष के निवेश एवं उधार) आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटे की वित्तीय प्रवृत्ति को | kj . kh 1.6 में दर्शाया गया है।

| kj . kh 1.6: jkt dk<sup>kh</sup>; ?kkVs ds ?kVd , oaf orri k<sup>kh</sup>.k

₹ djkm+e

fooj . k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
jkt dk <sup>kh</sup> ; ?kkV <sup>k</sup> (1   s 3)* (dk <sup>kh</sup> Bd e <sup>kh</sup> fn; s x; s vkdM <sup>s</sup>   dy jkt; ?kj sy mRi kn   s cfr'kr gA)	(-23,680 (2.52)	(-32,513 (3.21)	(-58,475 (5.14)	(-55,988 (4.48)	(-27,810 (2.02)
1 राजस्व आधिक्य	(+)10,067	(+)22,394	(+)14,340	(+)20,283	(+)12,552
2 निवल पूँजीगत व्यय <sup>5</sup>	(-)32,863	(-)53,297	(-)64,423	(-)69,789	(-)39,088
3 निवल ऋण एवं अग्रिम <sup>6</sup>	(-)884	(-)1,610	(-)8,392	(-)6,482	(-)1,274

\* इस सारणी में वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में राजकोषीय घाटा उदय को सम्मिलित करते हुये दर्शाया गया है जिससे वित्त लेखे में दिये गये वित्तीय प्रवृत्ति से मिलाया जा सके। उदय के दिशानिर्देशों के अनुसार, उदय के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों को राज्य के राजकोषीय घाटे की सीमा में सम्मिलित नहीं किया जायगा। वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में उदय को छोड़कर राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 34,143 करोड़ एवं ₹ 41,187 करोड़ था।

fooj . k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1 बाजार ऋण	5,054	13,513	25,301	36,904	37,178
2 भारत सरकार से ऋण	(-)1,075	(-) 875	(-) 803	(-)409	(-)438
3 एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	2,768	6,325	4,339	(-)4,532	(-)4,643
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	(-)12	7,146	28,005	15,441	317
5 लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	2,363	1,686	1,534	1,619	2,530
6 जमा एवं अग्रिम	5,037	1,050	(-) 1,543	(-)301	1,414
7 उचन्त एवं विविध	(-)9,637	535	(-) 677	592	(-)2,215
8 प्रेषण	(-)98	1,608	(-) 197	748	(-)3,906
9 अन्य <sup>7</sup>	19,280	1,525	2,516	5,926	(-)2,427
	; kx	<b>23,680</b>	<b>32,513</b>	<b>58,475</b>	<b>55,988</b>
#ये सभी आंकड़े वर्ष के अन्तर्गत संवितरण/व्यय का निवल हैं।					

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

### 1.3.2 ?kkVs@vkf/kD; dh xqkorrk

राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का अनुपात तथा प्राथमिक घाटे<sup>8</sup> का प्राथमिक राजस्व घाटे<sup>9</sup>, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों में विघटन राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है जैसा कि | kj . kh 1.7 में दर्शाया गया है।

<sup>5</sup> निवल पूँजीगत व्यय = पूँजीगत प्राप्तियाँ (-) पूँजीगत व्यय; ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय, पूँजीगत प्राप्तियाँ से अधिक है।

<sup>6</sup> निवल ऋण एवं अग्रिम = ऋण एवं अग्रिमों की वसूली (-) संवितरित ऋण एवं अग्रिम; ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि वर्ष के दौरान संवितरित ऋण एवं अग्रिम वसूली से अधिक है।

<sup>7</sup> आकर्षिकता निधि के अन्तर्गत लेन-देन, आरक्षित निधि, रोकड़ अवशेष, निवेश एवं बॉण्ड।

<sup>8</sup> प्राथमिक घाटा व्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटा है।

<sup>9</sup> प्राथमिक राजस्व घाटा, राज्य के व्याज-रहित राजस्व व्यय एवं इसके गैर-ऋण प्राप्तियों का अन्तर है एवं यह दर्शाता है कि गैर-ऋण प्राप्तियाँ किस सीमा तक राजस्व लेखे के अन्तर्गत किये गये प्राथमिक व्यय को पूरा करने हेतु पर्याप्त है।

## 1.7: वित्तीय वर्षों के वित्तीय लेखे

₹ दिक्षिणीय

वर्ष	वित्तीय लेखे	वित्तीय वर्ष	वित्तीय लेखे				
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2013-14	1,68,803	1,40,735	32,863	1,473	1,75,071	(+)28,068	(-)6,268
2014-15	1,93,684	1,52,162	53,297	1,873	2,07,332	(+)41,522	(-)13,648
2015-16	2,27,802	1,91,288	64,423	9,118	2,64,829	(+)35,514	(-)37,027
2016-17	2,57,134	2,09,656	69,789	6,741	2,86,186	(+)47,478	(-)29,052
2017-18	2,79,011	2,37,088	39,088	1,509	2,77,685	(+)41,923	(+)1,326

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्तीय लेखे)


इस प्रकार, राज्य सरकार का प्राथमिक घटा (-) ₹ 6,268 करोड़ (2013-14) से उन्नत होकर वर्ष 2017-18 में ₹ 1,326 करोड़ हो गया, जो यह दर्शाता है कि वर्ष के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियाँ राज्य के प्राथमिक व्यय को पूर्ण करने के लिये पर्याप्त थीं। यद्यपि, यह वर्ष 2017-18 में पूंजीगत व्यय में महत्वपूर्ण संकुचन के साथ था, जैसा कि प्रकल्प 1.1 (प्रकल्प 1.3) में दर्शाया गया है।

## 1.3.3 वित्तीय वर्षों के वित्तीय लेखे

बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय में कमी या तो अप्रत्याशित एवं अनपेक्षित घटनाओं अथवा बजट तैयार करने में व्यय एवं प्राप्तियों का कम/अधिक आकलन के कारण लक्षित राजकोषीय उद्देश्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

वर्ष 2017-18 के लिए चयनित राजकोषीय मापदण्डों के बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक स्थिति को प्रकल्प 1.2 एवं प्रकल्प 1.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2: चयनित राजकोषीय प्राचल : वर्ष 2017-18 में बजट अनुमान के सापेक्ष वास्तविक स्थिति



(स्रोत: बजट प्रपत्र एवं वित्तीय लेखे वर्ष 2017-18)

- राजस्व प्राप्तियों में बजट अनुमानों के सापेक्ष कमी (₹ 40,622 करोड़) स्वयं के कर राजस्व (₹ 14,109 करोड़), भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹ 27,404 करोड़) एवं संघीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश (₹ 467 करोड़) की कमी के कारण हुई जबकि स्वयं के करेतर राजस्व के अन्तर्गत ₹ 1,358 करोड़ की वृद्धि हुई।
- स्वयं के कर राजस्व में बजट अनुमानों के सापेक्ष कमी (₹ 14,109 करोड़) मुख्यतः बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 5,285 करोड़), स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 4,061 करोड़) एवं राज्य आबकारी (₹ 3,723 करोड़) के अन्तर्गत हुई। राज्य आबकारी विभाग ने कमी का कारण अत्यधिक बजट प्रावधान होना बताया क्योंकि जहाँ विगत 10 वर्षों में संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) 15.9 प्रतिशत थी, वर्ष 2017-18 के लिये बजट प्रावधान वर्ष 2016-17 की वास्तविक प्राप्तियों के सापेक्ष 44.3 प्रतिशत अधिक किया गया था। राज्य आबकारी के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियों में वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में 21.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य आबकारी विभाग ने अग्रेतर बताया कि राज्य आबकारी प्राप्तियों में कमी का कारण पड़ोसी राज्यों की तुलना में शराब का अधिकतम खुदरा मूल्य ज्यादा होने के कारण अन्य राज्यों मुख्यतः हरियाणा<sup>10</sup> से तस्करी किया जाना है।
- वर्ष 2017-18 के बजट प्रावधान में लघु एवं सीमांत कृषकों को फसली ऋण माफी के लिये राजस्व व्यय में ₹ 36,000 करोड़ की अत्यधिक वृद्धि के कारण पूंजीगत व्यय के वर्ष 2016-17 के बजट प्रावधान (₹ 71,878 करोड़) के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में बजट प्रावधान में (₹ 53,258 करोड़) में 26 प्रतिशत की कमी हुई।
- राजस्व व्यय में मुख्य कमी (₹ 40,895 करोड़) आर्थिक सेवायें (₹ 18,460 करोड़), सामाजिक सेवायें (₹ 17,155 करोड़), सामान्य सेवायें (₹ 5,257 करोड़) तथा सहायता अनुदान एवं अंशदान (₹ 23 करोड़) के अन्तर्गत हुई। पूंजीगत व्यय में कमी (₹ 14,170 करोड़) आर्थिक सेवायें (₹ 9,859 करोड़), सामाजिक सेवायें (₹ 3,486 करोड़) तथा सामान्य सेवायें (₹ 825 करोड़) के अन्तर्गत कमी के कारण हुई। राजस्व एवं पूंजीगत व्यय में कमी जैसा कि राज्य सरकार के विनियोग लेखे 2017-18 में दर्शाया गया है, अत्यधिक बजट प्रावधान, वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होना, निधियों का अवमुक्त न होना, योजना की स्वीकृति न होना, रिक्त पदों आदि के कारण हुई।

/ ।।rfr: वित्त विभाग को बजट तैयार करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे बजट अनुमान तथा वास्तविकताओं में लगातार बढ़ते अन्तर को कम किया जा सके।

#### **1.4 jkT; ds foRrh; | d k/ku**

okf"klđ foRr ys[ks ds vu| kj jkT; ds | d k/ku


राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत स्वयं का कर राजस्व, स्वयं का करेतर राजस्व, केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान समिलित

<sup>10</sup> नियंत्रक—महालेखा परीक्षक की उ.प्र. सरकार की प्रतिवेदन संख्या 1 (2019) भी देखें।

है। पूँजीगत अनुभाग के अन्तर्गत प्राप्तियाँ, विविध प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ एवं ऋण अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम के साथ-साथ लोक लेखे के अवशेष सम्मिलित हैं।

**प्रक्षेपण 1.3 तथा प्रक्षेपण 1.4 क्रमशः** कुल प्राप्तियों के संघटन, वर्ष 2013-18 की अवधि में प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति तथा वर्ष 2017-18 में संसाधनों के संघटन को दर्शाता है।

#### प्रक्षेपण 1.3: वित्त 2017-18 में प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति



(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2017-18)


चार्ट 1.4: राज्य की प्राप्तियों की प्रवृत्ति




(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

#### 1.4.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वित्त लेखे के **100j.k&14** में राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों को विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। वर्ष 2013-18 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संघटन को **1.5** में प्रस्तुत किया गया है एवं क्रमशः **pkVl 1.5** एवं **pkVl 1.6** में भी प्रदर्शित किया गया है।



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2017-18 में ₹ 2,78,775 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों में, ₹ 1,17,188 करोड़ राज्य का स्वयं का (कर/करेतर) राजस्व एवं भारत सरकार से प्राप्त ₹ 1,61,587 करोड़ सम्मिलित है। जहाँ वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 21,900 करोड़ की कुल वृद्धि थी, राज्य के स्वयं के संसाधन में ₹ 2,278 करोड़ (1.98 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि भारत सरकार से प्राप्तियों में ₹ 19,622 करोड़ (12 प्रतिशत) की वृद्धि हुई; इनका अग्रेतर विश्लेषण आगे के प्रस्तरों में किया गया है।

### 1.4.1.1 jkt; ds Lo; adslkdk/ku

संसाधनों के संघटन में केन्द्रीय करों में राज्यांश तथा सहायता अनुदान को सम्मिलित नहीं करते हुए, जो वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित होते हैं, राज्य के प्रदर्शन को स्वयं के कर राजस्व तथा स्वयं के करेतर राजस्व के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

वर्ष 2013-18 की अवधि में स्वयं के कर राजस्व तथा स्वयं के करेतर राजस्व के संग्रहण के विवरण को /f/f'k/V **1.6** में प्रदर्शित किया गया है। इसमें वर्ष 2013-14 के ₹ 83,032 करोड़ से वर्ष 2017-18 में ₹ 1,17,188 करोड़ अर्थात् ₹ 34,156 करोड़ (41 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

बजट अनुमान के सापेक्ष वर्ष 2017-18 हेतु राज्य के स्वयं के कर राजस्व एवं स्वयं के करेतर राजस्व को | kj . kh **1.8** में दर्शाया गया है।

| kj . kh **1.8:** ctV vupekukadslki§kLo; adsldj jktLo , oalLo; adsldj rj jktLo dh okLrfod ikflr; k

₹ djkm+e%

fooj . k	ctV vupekukadslki§kLo	okLrfod
स्वयं का कर राजस्व	1,11,502	97,393
स्वयं का करेतर राजस्व	18,436	19,795
; kx	<b>1,29,938</b>	<b>1,17,188</b>

(स्रोत: बजट प्रपत्र एवं वित्त लेखे वर्ष 2017-18)

### Lo; adsldj jktLo

वर्ष 2013-18 की अवधि में स्वयं के कर राजस्व का विवरण | kj . kh **1.9** में दर्शाया गया है।

| kj . kh **1.9:** Lo; adsldj jktLo ds ?kvD

₹ djkm+e%

fooj . k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	o"l 2016-17 ds   ki§k o"l 2017-18 eifhkjurk /fr'krh
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	39,645 (60)	42,934 (58)	47,692 (59)	51,883 (60)	31,113 (32)	(-)40.03
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	-	25,374 (26)	-
राज्य आबकारी	11,644 (17)	13,483 (18)	14,084 (17)	14,274 (17)	17,320 (18)	21.34
वाहनों पर कर	3,441 (5)	3,797 (5)	4,410 (5)	5,148 (6)	6,404 (7)	24.40
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	9,521 (14)	11,803 (16)	12,404 (15)	11,564 (13)	13,398 (14)	15.86
भू-राजस्व	772 (1)	527 (1)	505 (1)	760 (1)	1,336 (1)	75.79
विद्युत कर एवं शुल्क	1,048 (2)	1,085 (1)	1,338 (2)	1,556 (2)	2,124 (2)	36.50
अन्य कर	511 (1)	543 (1)	673 (1)	781 (1)	324 (0)	(-)58.39
; kx	<b>66,582</b>	<b>74,172</b>	<b>81,106</b>	<b>85,966</b>	<b>97,393</b>	<b>13.29</b>
स.रा.घ.उ. (वर्तमान मूल्यों पर)	9,40,356	10,11,790	11,37,210	12,50,213	13,75,607	10.03
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत	7.08	7.33	7.13	6.88	7.08	-

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

(कोष्ठक के आंकड़े करों के संग्रह की कुल कर से प्रतिशतता है)

- वर्ष 2017-18 में स्वयं के कर राजस्व में कुल 13.29 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः ‘राज्य आबकारी’ (₹ 3,047 करोड़), ‘स्टाम्प एवं पंजीकरण’ (₹ 1,834 करोड़), ‘वाहनों पर कर’ (₹ 1,255 करोड़), ‘भू—राजस्व’ (₹ 576 करोड़) तथा ‘विद्युत कर एवं शुल्क’ (₹ 568 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।
- विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 में बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर में ₹ 20,770 करोड़ की कमी हुई क्योंकि यह कर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) में समाहित किया गया जो कि 1 जुलाई 2017 से क्रियान्वित किया गया गया। यद्यपि, वर्ष के दौरान राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के अन्तर्गत ₹ 25,374 करोड़ का संग्रहण हुआ।
- राज्य आबकारी में वृद्धि देशी शराब (₹ 892 करोड़), भारत में निर्मित विदेशी शराब (₹ 795 करोड़) एवं बीयर (₹ 279 करोड़) की बिक्री में वृद्धि के कारण हुई। राज्य आबकारी विभाग को वर्ष के दौरान ₹ 373 करोड़ की प्राप्ति वर्ष 2018-19 में दुकानों के लिये ई-लाटरी टेण्डर प्रक्रिया अपनाने के कारण भी प्राप्त हुआ।
- ‘स्टाम्प एवं पंजीकरण’ के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः भूमि के वार्षिक पुनरीक्षित सर्किल रेट, रजिस्ट्री प्रपत्रों के शुल्क से अधिक प्राप्तियों (58 प्रतिशत) तथा न्यायिक एवं न्यायिकेतर स्टैम्प्स की बिक्री (23 प्रतिशत) के कारण हुई। ‘विद्युत कर एवं शुल्क’ की प्राप्तियों में वृद्धि विद्युत का उपभोग एवं बिक्री पर अधिक कर संग्रहण (41 प्रतिशत) के कारण हुई।
- वर्ष 2017-18 में राज्य के स.रा.घ.उ. के सापेक्ष स्वयं का कर राजस्व 7.08 प्रतिशत था जो अन्य राज्यों जैसे छत्तीसगढ़ (6.82 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (6.34 प्रतिशत), राजस्थान (6.02 प्रतिशत), गुजरात (5.42 प्रतिशत), झारखण्ड (4.84 प्रतिशत) एवं बिहार (4.74 प्रतिशत) की तुलना में अधिक था।

Lo; a dk dj rj jktLo

वर्ष 2013-18 की अवधि में करेतर राजस्व की प्राप्तियों का विवरण | kj . kh **1.10** में दर्शाया गया है।

| kj . kh **1.10:** Lo; a ds dj rj jktLo , o a bl ds eq[ ; ?kVd

₹ djKM+eq

fooj . k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	o"kl 2016-17 ds   ki \$k o"kl 2017-18 eq flikUrk %ifr'krh
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	913 (6)	1,029 (5)	1,222 (5)	1,548 (5)	3,259 (16)	110.53
ऊर्जा	1,061(6)	966 (5)	1,322(6)	2,939 (10)	4,696(24)	59.78
व्याज प्राप्तियाँ	1,619 (10)	2,303 (12)	633 (3)	1,165 (4)	1,093 (6)	(-) 6.18
विविध सामान्य सेवायें	3,194 (19)	6,400 (32)	4,949 (21)	4,460 (15)	4,841 (24)	8.54
मध्यम सिंचाई	325 (2)	326 (1)	557 (3)	652 (2)	834 (4)	27.91
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	6,414 (39)	5,799 (29)	10,652 (46)	14,092 (49)	432 (2)	(-)96.93
अन्य करेतर प्राप्तियाँ	2,924 (18)	3,112 (16)	3,800 (16)	4,088 (15)	4,640 (24)	(-)13.50
(ज्ञात: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)						(-) 31.61
(कोष्ठक के आंकड़े करों के संग्रह की कुल कर से प्रतिशतता है)						

वर्ष 2016-17 के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में स्वयं के करेतर प्राप्तियों में 31.61 प्रतिशत धनराशि ₹ 9,149 करोड़ की कमी हुई। यह मुख्यतः ‘शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति’ शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों के कम होने के कारण था, जिसका वास्तविक कारण यह था कि वर्ष 2017-18 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों को वेतन के लिये की जाने वाली प्रतिपूर्ति को प्राथमिक शिक्षा विभाग के व्यय में कमी के रूप में लेखांकित किया गया गया जबकि पूर्व में यह राज्य के करेतर प्राप्तियों के रूप में दर्शाया जाता था। अग्रेतर, अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग के अन्तर्गत खनिज रियायती शुल्क, किराया एवं रॉयल्टी (186 प्रतिशत) में अधिक प्राप्तियाँ मुख्यतः विभिन्न खनिजों के रॉयल्टी/स्थिर किराये की दर के पुनरीक्षित होने के कारण था।

#### 1.4.1.2 आयोजनात्मक योजनाओं हेतु अनुदान (01)

राज्य सरकार वित्त आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार से सहायता अनुदान एवं संघीय करों एवं शुल्कों में अंश प्राप्त करती है। भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण | क्ष. क्ष. 1.11 में दर्शाया गया है।

| क्ष. क्ष. 1.11: आयोजनात्मक योजनाओं हेतु अनुदान (01)

आयोजनात्मक योजनाओं हेतु अनुदान (01)	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान (02)	6,595	6,577	1,933	232	-
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान (03)	226	17	16	56	-
केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान (04)	7,650	19,289	21,638	22,914	-
केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान (06)	-	-	-	-	27,731
वित्त आयोग अनुदान (07)	-	-	-	-	8,849
अन्य हस्तांतरण/अनुदान (08)	-	-	-	-	4,068
वित्त आयोग अनुदान (09)	22,405	32,692	31,861	32,537	40,648
वित्त आयोग अनुदान (10)	29.22	45.91	(-) 2.54	2.12	24.93
राजस्व प्राप्तियाँ	1,68,214	1,93,422	2,27,076	2,56,875	2,78,775
राजस्व प्राप्तियों में कुल अनुदान की प्रतिशतता	13.32	16.90	14.03	12.67	14.58

(चोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

1 अप्रैल 2017 से प्रभावी महालेखा नियंत्रक द्वारा उपशीर्षों में सुधार किये जाने के कारण राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 में विभिन्न उपशीर्षों ‘केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान’ (₹ 27,731 करोड़), ‘वित्त आयोग अनुदान’ (₹ 8,849 करोड़) एवं ‘अन्य हस्तांतरण/अनुदान’ (₹ 4,068 करोड़) के अन्तर्गत सहायता अनुदान प्राप्त किया। विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में सहायता अनुदान में ₹ 8,111 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः जी.एस.टी. के क्रियान्वयन होने के कारण राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति (₹ 2,124 करोड़) दिये जाने के कारण, ग्राम्य विकास (₹ 1,464 करोड़), पंचायती राज एवं युवा कल्याण (₹ 1,579 करोड़), नगर विकास (₹ 1,247 करोड़), बुन्देलखण्ड परियोजना (₹ 917 करोड़) तथा केन्द्रीय सङ्कर निधि (₹ 671 करोड़) के लिये अनुदान में वृद्धि के कारण हुई।

### 1.4.1.3 dññh; dj gLrkñj .k

भारत सरकार संघीय करों एवं शुल्कों जैसे आयकर, सेवाकर, संघीय उत्पाद शुल्क आदि (वर्ष 2017-18 से केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर एवं एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर भी) में राज्य का अंश हस्तांतरित करती है। वर्ष 2013-18 की अवधि में केन्द्रीय कर हस्तांतरण की प्रवृत्तियाँ | kj .kh 1.12 में प्रस्तुत की गई हैं।

| kj .kh 1.12: dññh; dj gLrkñj .k

₹ djkM+e%

fooj .k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कुल केन्द्रीय कर हस्तांतरण	62,777	66,623	90,974	1,09,428	1,20,939
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर	-	-	-	-	1,718
एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर	-	-	-	-	12,212
सेवा कर	10,227	9,822	15,682	17,515	13,719
निगम कर से भिन्न आय पर कर	13,902	16,614	19,815	24,394	31,280
संघीय उत्पाद शुल्क	7,234	6,084	12,206	17,241	12,761
निगम कर	21,113	23,265	28,603	35,099	37,043
सम्पत्ति पर कर	58	63	8	81	(-2)
सीमा शुल्क	10,243	10,775	14,587	15,098	12,208
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0	0	73	0	0

(चोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल केन्द्रीय कर हस्तांतरण, ₹ 1,20,939 करोड़ में से ₹ 13,930 करोड़ एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर के कारण थी। वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में केन्द्रीय कर हस्तांतरण में कुल वृद्धि ₹ 11,511 करोड़ (11 प्रतिशत) थी।

### 1.4.1.4 oLrg , oI | sk dj kñtñ , | -Vñhñ

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम लागू किया, जो जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों की क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत जी.एस.टी. लागू किये जाने के कारण राज्यों के राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति केन्द्र सरकार पाँच वर्षों की अवधि के लिये करेगी। जी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत जी.एस.टी.में सम्मिलित करों के लिये राजस्व आकड़ों का आधार वर्ष 2015-16 माना गया था। राज्य के किसी वर्ष के अनुमानित राजस्व की गणना उस राज्य के आधार वर्ष राजस्व पर (14 प्रतिशत प्रतिवर्ष) अनुमानित वृद्धि दर लगाने हेतु की जायेगी।

वर्ष 2017-18 के लिये जी.एस.टी. के अन्तर्गत राजस्व आंकड़े यथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.), एस.जी.एस.टी. कर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रास युटिलाइजेशन एवं आई.जी.एस.टी. (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर), आई.जी.एस.टी. का विभाजन—एस.जी.एस.टी. के कर घटक का अंतरण एवं आई.जी.एस.टी. का अग्रिम विभाजन, वित्त लेखे में प्राप्तियों के रूप में दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रकरण में आधार वर्ष 2015-16 के दौरान सम्मिलित करों का राजस्व ₹ 33,359 करोड़ था। इस प्रकार जुलाई 2017 से मार्च 2018 के लिये आधार वर्ष आकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 में अनुमानित राजस्व

₹ 32,514.75 करोड़ था, जिसके सापेक्ष एस.जी.एस.टी. के रूप में ₹ 25,374 करोड़ संग्रह हुआ था। इस धनराशि में भारत सरकार से आई.जी.एस.टी. अनन्तिम/अग्रिम समाधान के रूप में प्राप्त ₹ 1,460 करोड़ सम्मिलित था। यह इस शर्त के साथ था कि उक्त धनराशि का समायोजन वर्ष 2018-19 में माह अप्रैल 2018 से दस समान मासिक किश्तों में आई.जी.एस.टी. के नियमित समाधान से किया जायेगा।

#### 1.4.2 इथर वुल्क्स द्वारा बहुत किश्तें

वर्ष 2013-18 की अवधि में पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ | के 1.13 में दर्शायी गई हैं।

के 1.13: इथर वुल्क्स द्वारा बहुत किश्तें का दृष्टि दिया जाता है।

इथर वुल्क्स द्वारा बहुत किश्तें का दृष्टि दिया जाता है।	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
इथर वुल्क्स द्वारा बहुत किश्तें का दृष्टि दिया जाता है।	15,489	35,782	75,240	67,944	47,653
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	589	262	726	259	236
लोक ऋण प्राप्तियाँ	14,900	35,520	74,514	67,685	47,417
पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत गैर ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	41	(-)56	177	(-)64	(-)9
पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)5	138	110	(-)9	(-)30

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य की कुल ₹ 47,417 करोड़ की लोक ऋण प्राप्तियों में से ₹ 1,103 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा शेष ₹ 46,314 करोड़ राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण था।

#### 1.4.2.1 व्यक्तिगत क्रेडिट संज्ञा से जुड़े लोक किश्तें

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 तक की अवधि में आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त ऋणों का विवरण के 1.14 में दर्शाया गया है।

के 1.14: व्यक्तिगत क्रेडिट संज्ञा से जुड़े लोक किश्तें का दृष्टि दिया जाता है।

व्यक्तिगत क्रेडिट संज्ञा से जुड़े लोक किश्तें का दृष्टि दिया जाता है।	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बाजार ऋण	8,000	17,500	30,000	41,050	41,600
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	8	1,732	4,499	8,695	2,933
वित्तीय संस्थानों से ऋण	1,494	7,176	31,669	16,909	1,781
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों	5,008	8,626	7,752	0	0
; क्र	14,510	35,034	73,920	66,654	46,314
आन्तरिक ऋण प्राप्तियों की कुल लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों की प्राप्तियों से प्रतिशतता	26.35	49.03	65.12	58.90	51.43

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2017-18 में वित्तीय संस्थानों से ऋण एवं राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी विशेष प्रतिभूतियों में कमी होने के कारण आन्तरिक स्त्रोतों से ऋण प्राप्तियों कम होकर ₹ 46,314 करोड़ हो गयी।

वर्ष 2014-17 की अवधि में वित्तीय पुनर्संरचना योजना (उदय) के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 (₹ 24,332 करोड़) एवं वर्ष 2016-17 (₹ 14,801 करोड़) के बॉण्ड जारी करके लिये गये ऋणों के कारण आन्तरिक स्त्रोतों से ऋण प्राप्तियों में वृद्धि होकर ₹ 35,034 करोड़ से ₹ 66,654 करोड़ हो गयी जिसके कारण वित्तीय संस्थानों से ऋण के साथ-साथ लोक ऋण प्राप्तियों में भी वृद्धि हुई।

राज्य द्वारा निवेशों पर प्राप्त ब्याज से अधिक दर पर उधार लेने के प्रभाव का वर्णन | Lrj 1.8.4 में किया गया है।

#### 1.4.2.2 ऋणों का विवरण

वर्ष 2013-18 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण | kj . kh 1.15 में दर्शाया गया है।

| kj . kh 1.15: ऋणों का विवरण

fooj . k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	390	486	594	1,031	1,103

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

#### 1.4.3 योग्य योग्यता का विवरण

अल्प बचत, भविष्य निधि और आरक्षित निधियाँ आदि जो समेकित निधि के अंग नहीं हैं, से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं ये विधायिका के मत पर आधारित नहीं होते हैं। इनके सम्बन्ध में सरकार बैंकर अथवा ट्रस्टी का काम करती है। वित्त लेखे के fooj . k & 21 में लोक लेखे की प्राप्तियों एवं संवितरण की स्थिति दी गयी है तथा लोक लेखे (निवल) का विवरण | kj . kh 1.16 में दर्शाया गया है।

| kj . kh 1.16: योग्य योग्यता का विवरण

fofkkju 'kh"kk ds vUrxt   d k/ku	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
योग्य योग्यता	5,619	2,185	1,678	9,883	6,088
क. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	2,363	1,686	1,534	1,619	2,530
ख. आरक्षित निधि	7,954	(-) 2,694	2,561	7,225	8,265
ग. जमा एवं अग्रिम	5,037	1,050	(-) 1,543	(-) 301	1,414
घ. उचन्ता एवं विविध	(-) 9,637	535	(-) 677	592	(-) 2,215
ड. प्रेषण	(-) 98	1,608	(-) 197	748	(-) 3,906

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

आरक्षित निधियों के अन्तर्गत लेन-देनों के प्रभाव का वर्णन | Lrj 1.9.2 में किया गया है।

### 1.5 jktLo cdk; k

31 मार्च 2018 को कुछ मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व बकाया ₹ 22,457.97 करोड़ में से ₹ 10,516.93 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। विभागों द्वारा प्राप्त सूचनाओं को | kj . kh 1.17 में दर्शाया गया है।

| kj . kh 1.17: jktLo cdk; k

₹ dj kM+e1

Ø-   a	jktLo dk 'kñ'kz	foHkkx dk uke	31 ekpl 2018 dks dñy cdk; k /kuj kf' k	i kp o"kkj   s vf/kd vof/k   s cdk; k /kuj kf' k
1.	वाणिज्यिक कर	बिक्री कर विभाग	21,548.61	10,257.17
2.	मनोरंजन कर	मनोरंजन एवं आजीकरण विभाग	348.74	13.14
3.	राज्य आबकारी	आबकारी विभाग	52.37	52.08
4.	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	स्टाम्प और पंजीकरण विभाग	398.47	140.71
5.	वाहनों, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर	परिवहन विभाग	109.78	53.83
			; kx 22,457.97	10,516.93

(स्रोत: सम्बन्धित विभाग)

/ Lrfr: वित्त विभाग को राजस्व बकाया के त्वरित संग्रह हेतु प्रणाली विकसित करनी चाहिये।

### 1.6 | xg dh ykxr

वर्ष 2017-18 में मुख्य राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष संग्रह तथा संग्रह पर लागत का विवरण | kj . kh 1.18 में दर्शाया गया है।

| kj . kh 1.18: | xg dh ykxr

fooj . k	dy	xg ij	xg ij fd; s x; s 0; ; dh   dy	foxr o"kl e1 vf[ky Hkkj rh; Lrj ij vkl r
	xg	0; ;	xg ds   kf ifr' krrk	₹ dj kM+e1
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	56,487	790	1.40	0.69
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	13,398	268	2.00	2.99
राज्य आबकारी	17,320	188	1.09	2.01
वाहनों पर कर	6,404	169	2.67	2.61

(स्रोत: सम्बन्धित विभाग एवं वित्त लेखे)

यद्यपि, राज्य आबकारी और स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क की संग्रह लागत विगत वर्ष के अखिल भारतीय औसत संग्रह लागत के सापेक्ष कम थी तथापि वाहनों पर कर की संग्रह लागत अखिल भारतीय औसत संग्रह लागत से अधिक थी जबकि मूल्य संवर्धित कर, वस्तु एवं सेवा कर तथा अन्य समाहित करों पर राज्य सरकार की संग्रह लागत अखिल भारतीय स्तर पर औसत लागत का लगभग दोगुना है।

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर की प्रवृत्ति का विश्लेषण, उ.प्र. के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात, संघीय कर (राज्य बिक्री कर के अन्तर्गत प्राप्तियाँ) के सकल घरेलू

उत्पाद के अनुपात से भी तुलनात्मक रूप से उच्च अनुपात दर्शाता है जैसा कि । kj . kh 1.19 में दर्शाया गया है।

। kj . kh 1.19: । -j k?k-m- vuq kr ds । ki sk fc0h] 0; ki kj rFkk jkT; oLrq , oI । ok dj

fooj . k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बिक्री, व्यापार इत्यादि तथा वस्तु एवं सेवाकर (₹ करोड़ में)	39,645	42,935	47,692	51,883	56,487
वस्तु एवं सेवा कर सहित बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर का उ.प्र. का स.रा.घ.उ. से अनुपात	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
संधीय कर (राज्य बिक्री कर के अन्तर्गत प्राप्तियाँ) का स.घ.उ. से अनुपात	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01

(ज्ञोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे एवं संधीय वित्त लेखे)

बिक्री, व्यापार इत्यादि तथा वस्तु एवं सेवा कर के वास्तविक संग्रह की प्रवृत्ति की अग्रेतर समीक्षा भी यह दर्शाती है कि वास्तविक संग्रह हमेशा बजट अनुमानों से कम रहा है, जैसा कि । kj . kh 1.20 में दर्शाया गया है।

। kj . kh 1.20: ctV vuqku , oI okLrfod 0; ; dh i pfrr; kj

₹ dj KM+e%

fc0h] 0; ki kj bR; kfn i j dj	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बजट अनुमान	43,936	47,500	52,673	57,940	68,000
वास्तविक	39,645	42,934	47,692	51,883	56,487

(ज्ञोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट प्रपत्र)

विगत पाँच वर्षों में बिक्री, व्यापार इत्यादि तथा वस्तु एवं सेवा कर के संग्रह में कमी अनुमानों तथा वास्तविक कर संग्रह में असमानता के स्तर को दर्शाता है।


। Lrf: वित्त विभाग तथा बिक्री कर विभाग को इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि मूल्य संवर्धित कर, वस्तु एवं सेवा कर तथा अन्य समाहित करों की संग्रह लागत अखिल भारतीय स्तर से लगभग दोगुनी क्यों हैं तथा संग्रह लागत को कम करने के उपाय करने चाहिए।

1.7 | d k/kuk ds vuq l; kx


1.7.1 0; ; ds | pVU , oI mue of) ; kj

pkVl 1.7 एवं pkVl 1.8 वर्ष 2013-18 की अवधि में क्रमशः कुल व्यय की प्रवृत्तियों एवं संघटन को प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.7: कुल व्यय: प्रवृत्ति एवं संघटन



चार्ट 1.8: कुल व्यय के प्रतिशत में कार्यकलापवार व्यय



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

### 1.7.1.1 जैकलो ०; ;

राजस्व व्यय का विवरण | क्ष.ख 1.21 में दर्शाया गया है।

| क्ष.ख 1.21: जैकलो ०; ; dk fooj.k

₹ ८५५८८

fooj.k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व व्यय	1,58,147	1,71,027	2,12,736	2,36,592	2,66,224
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.38	8.14	24.39	11.21	12.52

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2016-17 के सापेक्ष वर्ष 2017-18 के राजस्व व्यय में ₹ 29,632 करोड़ (13 प्रतिशत) की समग्र वृद्धि हुई थी। वर्ष 2017-18 में वृद्धि मुख्यतः फसल कृषिकर्म<sup>11</sup><sup>11</sup> वृद्धि मुख्य रूप से छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए कृषि ऋण माफी योजना पर खर्च के कारण हुई थी।

(₹ 21,500 करोड़), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ (₹ 10,250 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 2,200 करोड़), पुलिस (₹ 1,767 करोड़), चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (₹ 1,600 करोड़), शहरी विकास (₹ 1,216 करोड़), लोक निर्माण (₹ 942 करोड़) एवं लघु सिंचाई (₹ 740 करोड़) के अन्तर्गत हुई थी। विगत वर्ष के सापेक्ष कमी मुख्यतः ऊर्जा<sup>12</sup> (52 प्रतिशत) तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण<sup>13</sup> (28 प्रतिशत) के अन्तर्गत थी।

### 1.7.1.2 opuc) ०; ;

राजस्व मद के अन्तर्गत सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान (₹ 29,136 करोड़), वेतन एवं भत्तों पर व्यय (₹ 85,076 करोड़), पेंशन (₹ 38,476 करोड़) तथा सब्सिडी (₹ 9,284 करोड़) सम्मिलित है। वर्ष 2013-18 की अवधि में वचनबद्ध व्यय की प्रवृत्ति | kj . kh 1.22 में प्रस्तुत की गयी है।

| kj . kh 1.22: opuc) ०; ; का ds ?kVdkा dh i dfRr

₹ dj kM+ e%

opuc) ०; ; का ds ?kVdkा	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18		
					ctV vupku	okLrfod ०; ;	
oru* , oI et nj h] ft  eI s	<b>54,892</b> (33)	<b>62,147</b> (32)	<b>74,439</b> (33)	<b>85,416</b> (33)	<b>95,080</b>	<b>85,076</b> (31)	
आयोजनेत्तर शीर्ष	47,654	51,195	58,537	66,424			
आयोजनागत शीर्ष**	7,238	10,952	15,902	18,992			
C; kt Hkxrku	<b>17,412</b> (10)	<b>18,865</b> (10)	<b>21,448</b> (9)	<b>26,936</b> (11)	<b>33,212</b>	<b>29,136</b> (10)	
i \$ku i j ०; ;	<b>19,521</b> (12)	<b>22,305</b> (11)	<b>24,150</b> (11)	<b>28,227</b> (11)	<b>35,889</b>	<b>38,476</b> (14)	
I fcl Mh	<b>6,608</b> (4)	<b>7,661</b> (4)	<b>7,691</b> (3)	<b>8,045</b> (3)	<b>10,060</b>	<b>9,284</b> (3)	
opuc) ०; ; dk ; kX	<b>98,433</b> (59)	<b>1,10,978</b> (57)	<b>1,27,728</b> (56)	<b>1,48,624</b> (58)	<b>1,74,241</b>	<b>1,61,972</b> (58)	

इस मद में राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत कोष्ठक में अंकित किये गये हैं।

\*सहायता अनुदान से भुगतानित वेतन भी सम्मिलित है।

\*\*वर्ष 2017-18 से आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर के विभाजन का विलय हो गया है।

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा संकलित आंकड़े)

वर्ष 2017-18 में वचनबद्ध व्यय (₹1,61,972 करोड़), जो राजस्व प्राप्ति (₹ 2,78,775 करोड़) का 58 प्रतिशत थे, राजस्व व्यय का एक प्रमुख घटक रहा और राजस्व व्यय (₹ 2,66,224 करोड़) के 61 प्रतिशत का उपभोग किया।

### 1.7.1.3 i fj Hkkf"kr vdknkn; h i \$ku ; kstuk

1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के तहत आच्छादित हैं। यह नियम सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वायत्त निकायों के नए प्रवेशकों पर भी

<sup>12</sup> ऊर्जा विभाग में 'अन्य व्यय' शीर्ष के अन्तर्गत (₹ 7,533 करोड़ की कमी)

<sup>13</sup> मुख्यतः 'जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' एवं अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत (₹ 3,840 करोड़ की कमी)।

लागू होता है। योजना के संदर्भ में, सरकारी कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं, जिसमें राज्य सरकार द्वारा समान मैचिंग शेयर मिलाया जाता है और सम्पूर्ण धनराशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) / ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को हस्तान्तरित की जाती है।

राज्य सरकार ने अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया क्योंकि वह वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के संबंध में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समान मैचिंग शेयर के रूप में ₹ 465.10 करोड़ का योगदान करने में विफल रही। विगत वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2016-17 की अवधि में राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के संबंध में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के तहत इसके मैचिंग शेयर के रूप में ₹ 211.69 करोड़ का अंशदान नहीं किया।

अग्रेतर, राज्य सरकार ने वर्ष 2008-09 से वर्ष 2017-18 की अवधि में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के एवं राज्य सरकार के अंशदान के रूप में ₹ 8,205.66 करोड़ रुपये एकत्र किए, लेकिन योजना के प्रावधानों के अनुसार आगे निवेश के लिए नामित प्राधिकारी को ₹ 703.16 करोड़ जमा नहीं किए। इस प्रकार, 31 मार्च 2018 को, निर्दिष्ट प्राधिकारी को ₹ 1,379.95 करोड़ (₹465.10 करोड़ + ₹ 211.69 करोड़ + ₹703.16 करोड़) का कम हस्तान्तरण किया गया और वर्तमान देयता को भविष्य के वर्ष (ओं) के लिए आस्थगित किया गया। इसके अलावा, राज्य सरकार ने भविष्य में कर्मचारियों को देय लाभ के संबंध में अनिश्चितता पैदा की/ सरकार के लिए भविष्य में परिहार्य वित्तीय देयता सृजित की और इस प्रकार स्वयं ही योजना को संभावित विफलता की ओर अग्रसर किया।

वर्ष 2017-18 के प्रारंभ में निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना के सापेक्ष ₹ 545.68 करोड़, ब्याज सहित जमा खाते में अवशेष था जिसके लिए राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के जी.पी.एफ. की ब्याज दर पर लागू वार्षिक ब्याज दर के आधार पर आगणित ₹ 25.78 करोड़ ब्याज का भुगतान किया था। यद्यपि, अवशेष राशि पर भुगतान किए गए ब्याज की पर्याप्तता को जाँचा नहीं जा सका, क्योंकि पेंशन निदेशालय ने लेखापरीक्षा जॉच के लिए संबंधित गणना प्रपत्र प्रदान नहीं किया।

**संस्तुति:** राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ करनी चाहिए कि 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों को उनकी भर्ती की तिथि से अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आच्छादित किया जाये। यह इस प्रकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कर्मचारियों के वेतन से कटौती पूरी तरह से की जाए, सरकार द्वारा अपना पूर्ण योगदान देते हुए समयबद्ध तरीके से एन.एस.डी.एल. के माध्यम से नामित फण्ड मैनेजर को सम्पूर्ण रूप से स्थानान्तरित कर दिया जाए।

#### 1.7.1.4 *introduction* ;

पूंजीगत व्यय का विवरण | क्ष. क्ष. 1.23 में प्रस्तुत किया गया है।

I kj . kh 1.23: i thxr 0; ; dk fooj . k

₹ dj km+e%

fooj . k	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूंजीगत व्यय	32,863	53,297	64,423	69,789	39,088
पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	37.88	62.18	20.88	8.33	(-) 43.99
वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. के सापेक्ष पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	3.49	5.27	5.67	5.58	2.84

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल ₹ 39,088 करोड़ के पूंजीगत व्यय में से राज्य सरकार ने ₹ 8,380 करोड़ सांविधिक निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं सहकारी समितियों में निवेश किया जिसमें से ₹ 8,271 करोड़ ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, हर घर बिजली योजना आदि में अंश पूँजी के रूप में निवेशित था। अन्य मुख्य क्षेत्र जिसमें सड़क एवं पुल पर ₹ 7,635 करोड़, ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर ₹ 2,313 करोड़, आवास पर ₹ 5,617 करोड़, जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर ₹ 1,811 करोड़ तथा लोक निर्माण कार्य पर ₹ 1,010 करोड़ का व्यय समाहित था।

विगत वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में ₹ 30,701 करोड़ (44 प्रतिशत) की कमी आई थी। कमी मुख्य रूप से सड़कों और पुलों, खाद्य भण्डारण एवं भण्डागार, आवास एवं वन तथा वन्य जीवन के अन्तर्गत थी, जैसा कि I kj . kh 1.24 में प्रदर्शित है।

I kj . kh 1.24: o"kl 2017-18 ei i thxr 0; ; ei deh dk fooj . k

0; ; ds e[; ' kh"kl	0k"kl 2016-17 Lks i thxr 0; ; ei deh	0k"kl 2016-17 dhs rgyuk ei o"kl 2017-18 ei i thxr 0; ; ei deh dk e[; dkj . k
	₹ dj km+e% i fr'kr	
5054-सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	14,724	66 राज्य राजमार्गों एवं जिले की सड़कों पर उच्चीकरण के निर्माण पर व्यय में कमी।
4801- ऊर्जा परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3,369	उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन निगम में निवेश एवं उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सुदृढ़ीकरण एवं वितरण हेतु शेयर कैपिटल पर व्यय में कमी; 2017-18 में उदय पर कोई व्यय नहीं।
4408-खाद्य भण्डारण एवं भण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय	1,748	खाद्य अनाज की आपूर्ति परियोजना पर व्यय में कमी के कारण।
4700- वृहद चिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,586	अपर गंगा नहर, लोअर गंगा नहर, शारदा नहर एवं शारदा सहायक नहर आदि पर व्यय में कमी।
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1,080	राजकीय विद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना पर व्यय में कमी।
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	1,045	लोहिया ग्रामीण आवास योजना, आसरा योजना एवं राजकीय आवासीय भवनों के निर्माण पर व्यय में कमी।
4406-वन एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	491	हरित पट्टी विकास योजना, सामाजिक वानिकी एवं वानिकी सम्बन्धित परियोजनाओं पर व्यय में कमी।

(स्रोत: वित्त लेखे 2017-18)

वर्ष 2017-18 में राज्य के स.रा.घ.उ. के सापेक्ष पूंजीगत व्यय 2.84 प्रतिशत था, जो अन्य राज्यों जैसे बिहार (5.93 प्रतिशत), झारखण्ड (4.68 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (4.37 प्रतिशत) एवं छत्तीसगढ़ (3.43 प्रतिशत) से कम था, लेकिन राजस्थान (2.45 प्रतिशत) एवं गुजरात (1.99 प्रतिशत) से अधिक था।

### 1.7.2 ०; ; कृ धि खिकोरक

व्यय की गुणवत्ता के अन्तर्गत मुख्यतः तीन पक्ष निहित होते हैं, नामतः व्यय की पर्याप्तता (उदाहरणार्थः सार्वजनिक सेवायें उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान); व्यय के उपयोग की दक्षता एवं प्रभावकारिता (सेवाओं के परिव्यय-परिणाम सम्बन्धों का आकलन)।

#### 1.7.2.1 यकृ ०; ; धि इ; क्लरक

वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में विकास व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय तथा पूंजीगत व्यय की सामान्य श्रेणी के राज्यों से तुलना। **1.25** में प्रस्तुत की गयी है।

| कृ . कृ **1.25:** ०"कृ 2013-14 , ०१ 2017-18 इ१ ज१त; धि ज१त दक्षक्ष; इ१ कैफेदरक  
ए१ फ१र'कृ ए१

jkt dks"kh; i kFkfedrk ए१ dy jkt; ?kj sy॥ mRi kn l s i fr'kr rkh	, -b१@ l -jk- ?k-m-	Mh-b१#@ , -b१	, l - b१@, -b१	b१, l -b१ @, -b१	Lkh-b१@ , -b१	, tnd'ku@ , -b१	gYFk@ , -b१
सामान्य श्रेणी राज्यों* का औसत (अनुपात) 2013-14	14.7	66.5	37.6	28.9	13.6	17.2	4.5
उत्तर प्रदेश का औसत (अनुपात) 2013-14	20.5	60.9	35.4	25.5	17.1	16.7	4.8
सामान्य श्रेणी राज्यों* का औसत (अनुपात) 2017-18	16.1	67.9	36.7	29.6	14.4	15.5	4.9
उत्तर प्रदेश का औसत (अनुपात) 2017-18	22.3	60.8	31.3	29.5	12.7	15.3	5.5

ए.इ.: कुल व्यय, डी.ई.: विकास व्यय, एस.एस.ई.: सामाजिक क्षेत्र व्यय, ई.एस.ई.: आर्थिक क्षेत्र व्यय, सी.ई.: पूंजीगत व्यय।  
\* गोवा को छोड़कर।  
#विकास व्यय में राजस्व विकास व्यय, पूंजीगत विकास व्यय और ऋण एवं अग्रिम संवितरण सम्मिलित है।

वर्ष 2017-18 में, स.रा.घ.उ. के सापेक्ष कुल व्यय का अनुपात और स्वारक्ष्य सेवाओं पर व्यय का कुल व्यय के सापेक्ष अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था। यद्यपि, विकास पर व्यय, शिक्षा पर व्यय और आर्थिक सेवाओं पर व्यय का कुल व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों से कम था। वर्ष 2017-18 के लिए सामाजिक सेवाओं के व्यय के अनुपात में गिरावट सामाजिक सेवाओं के व्यय में वर्ष 2013-18 की अवधि में कुल व्यय (59 प्रतिशत) में वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि दर (41 प्रतिशत) होने के कारण थी।

### 1.7.2.2 ०; ; इ१ न१करक

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का विवरण। **1.26** में दर्शाया गया है।

I kj . kh 1.26: p; fur I kekftd , oः vkkFkld I okvkvः ij fd; s x; s 0; ; dh n{krk

I kekftd@vkkFkld vol j puk	2016-17			2017-18		
	i wthxr 0; ; dk dy 0; ; ei vuj kr	jktLo 0; ; (₹ dj kM+e)	or u , o etnijh	i fj pkyu , o vuj {k.k	i wthxr 0; ; dk dy 0; ; ei vuji kr	jktLo 0; ; (₹ dj kM+e)
; kx ॥ kekftd   ok; ॥	15.54	55,711	269	12.08	50,533	393
; kx ॥ vkkFkld   ok; ॥	47.90	9,918	2,685	27.31	11,544	4,567
; kx ॥ kekftd   ok; ॥	30.76	65,629	2,954	19.46	62,077	4,960
\$ vkkFkld   ok; ॥						
I kekftd   okvkvः ds e[; ?KVd						
सामान्य शिक्षा	3.72	46,892	28	1.99	40,757	13
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	18.51	7,002	144	12.49	8,050	152
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवासीय तथा नगरीय विकास	64.44	153	68	52.63	159	204
vkkFkld   okvkvः ds e[; ?KVd						
कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	37.94	2,754	29	5.55	3,228	22
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	48.76	2,570	517	30.80	2,840	2,205
शक्ति एवं ऊर्जा	39.15	27	00	53.72	38	00
परिवहन	82.29	107	2,136	66.87	120	2,323

(चोत: वित्त लेखे एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा संकलित वी.ए.ल.सी. आंकड़े वर्ष 2016-17 एवं 2017-18)

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के योगदान में सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत 3.46 प्रतिशत एवं आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत 20.59 प्रतिशत की कमी हड्डी। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 में सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अनुपात में कमी मुख्य रूप से जल आपूर्ति, स्वच्छता और नगरीय विकास (11.81 प्रतिशत) के क्षेत्र में थी। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत, कृषि और संबद्ध गतिविधियों में 32.39 प्रतिशत की कमी थी।

वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में राजस्व व्यय में वेतन और मजदूरी के योगदान में ₹ 3,552 करोड़ (पांच प्रतिशत) की कमी हुई। वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में राजस्व व्यय में परिचालन एवं अनुरक्षण पर हुये व्यय में ₹ 2,006 करोड़ (68 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसमें आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत ₹ 1,882 करोड़ (70 प्रतिशत) एवं सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत ₹ 124 करोड़ (40 प्रतिशत) की वृद्धि सम्मिलित थी।

### 1.7.2.3 fodkl , oः fodkl Rrj 0; ;

राजस्व शीर्ष के व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं की श्रेणी में आते हैं। सामान्यतः सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किये गये व्यय विकास व्यय में सम्मिलित किए जाते हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय विकासेत्तर व्यय माना जाता है।

वर्ष 2013-18 की अवधि में शासन द्वारा किये गये विकास एवं विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर। I kj . kh 1.27 में प्रस्तुत की गयी है।

| क्ष. क्ष 1.27% फॉक्टरी, ओफोक्टरी रुपये ; ;

₹ दिक्षिणीय

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व व्यय	1,58,147	1,71,027	2,12,736	2,36,592	2,66,224
पूंजीगत व्यय	32,863	53,297	64,423	69,789	39,088
ऋण एवं अग्रिम	1,473	1,873	9,118	6,741	1,509
दृष्टि रुपये ; ;	<b>1,92,483</b>	<b>2,26,197</b>	<b>2,86,277</b>	<b>3,13,122</b>	<b>3,06,821</b>
विकास व्यय	1,17,209	1,46,705	1,98,456	2,08,290	1,86,578
विकास व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	20	25	35	5	(-)10
विकासेत्तर व्यय	75,274	79,492	87,821	1,04,832	1,20,243
विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11	6	10	19	15

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

विकासेत्तर व्यय के सापेक्ष विकास पर व्यय में वर्ष 2015-16 में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। इसके पश्चात् वर्ष 2017-18 में यह तेजी से घटकर ऋणात्मक 10 प्रतिशत तक हो गयी। विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2013-14 में 11 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 19 प्रतिशत हो गयी थी परन्तु वर्ष 2017-18 में घटकर 15 प्रतिशत हो गयी।

## 1.8 भूक्ति दर; ; , ओफोक्टरी

### 1.8.1 भूक्ति दर और फैक्टरी डिस्काउंट फॉरम्हला इफिक्यू

तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली दर (राजस्व व्यय के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ) का निर्धारण इन परियोजनाओं की वाणिज्यिक उपादेयता के आकलन हेतु किया गया था। वर्ष 2013-18 की अवधि में राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति का विवरण | क्ष. क्ष 1.28 में प्रदर्शित है।

| क्ष. क्ष 1.28: भूक्ति दर और फैक्टरी डिस्काउंट फैक्यू एवं व्यापारी व्यक्ति की वित्त आयोग की रिपोर्ट

वर्ष	भूक्ति दर ; ;	भूक्ति दर इफिक्यू ; ;	भूक्ति दर इफिक्यू एवं व्यापारी व्यक्ति की वित्त आयोग की रिपोर्ट	भूक्ति दर इफिक्यू एवं व्यापारी व्यक्ति की वित्त आयोग की रिपोर्ट	भूक्ति दर इफिक्यू एवं व्यापारी व्यक्ति की वित्त आयोग की रिपोर्ट
2013-14	4,472	550	60	12	48
2014-15	5,009	397	75	8	67
2015-16	4,891	651	35	13	22
2016-17	5,230	782	35	15	20
2017-18	6,706	953	35	14	21

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे तथा तेरहवें वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट)

लागत वसूली में अन्तर, जिसमें वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में सुधार हुआ, परन्तु वर्ष 2017-18 में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि ये पड़ोसी राज्य बिहार (29 प्रतिशत) से बेहतर है, तथापि इसमें अन्य राज्यों छत्तीसगढ़ (-)76 प्रतिशत एवं मध्य प्रदेश (-)47 प्रतिशत की तुलना में और सुधार किया जाना है।

| इफिक्यू: राज्य सरकार को सिंचाई परियोजनाओं पर लागत वसूली में सुधार हेतु उपाय प्रारम्भ करना चाहिये।

### 1.8.2 विवरणों का विवरण

अपूर्ण कार्यों पर धनराशियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अपूर्ण कार्यों का विवरण, जैसा कि वित्त लेखे में दिया गया है, का सार । क्ष. क्ष 1.29 में दर्शाया गया है।

क्ष. क्ष 1.29: 31 एकल 2018 दिनों की विवरणों का विवरण

₹ दिनों की विवरण

विवरणों का विवरण	विवरणों का विवरण	विवरणों का विवरण	विवरणों का विवरण	विवरणों का विवरण	विवरणों का विवरण
लोक निर्माण (सड़कें एवं सेतु)	1,006	12,953	08	355	460
सिंचाई	59	5,344	01	657	1,514
	<b>1,065</b>	<b>18,297</b>	<b>09</b>	<b>1,012</b>	<b>1,974</b>

(ज्ञात: वित्त लेखे वर्ष 2017-18 का परिशिष्ट IX)

कुल 1,065 अपूर्ण परियोजनाओं में से केवल नौ परियोजनाओं (बजटीय लागत में कुल वृद्धि 95 प्रतिशत) की बजटीय लागत पुनरीक्षित की गयी। राज्य सरकार द्वारा शेष अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का मूल्यांकन नहीं किया गया अतः इन परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु धनराशि की आवश्यकता निर्धारित नहीं की जा सकी।

क्ष. क्ष 1.29: लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग को परियोजनाओं की लागत में वृद्धि को कम करने एवं परियोजनाओं को नियत अवधि में पूर्ण करने हेतु प्रक्रिया तंत्र को विकसित करना चाहिए।

### 1.8.3 फुटर ऑफरेंस

वर्ष 2013-18 की अवधि में निवेशों पर प्रतिफल<sup>14</sup> की स्थिति क्ष. क्ष 1.30 में दर्शायी गयी है।

क्ष. क्ष 1.30: फुटर ऑफरेंस

फुटर ऑफरेंस	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वर्ष के अन्त तक निवेश (₹ करोड़ में)	52,467	58,606	84,357	96,400	1,04,779
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	5.23	8.08	42.66	86.34	30.84
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.01	0.01	0.05	0.09	0.03
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर औसत ब्याज दर <sup>15</sup> (प्रतिशत)	6.43	6.40	6.35	6.82	6.54
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर ब्याज दर एवं निवेशों पर प्राप्त ब्याज में अन्तर (प्रतिशत)	6.42	6.39	6.30	6.73	6.51
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर ब्याज दर एवं निवेशों पर प्राप्त प्रतिफल में अन्तर के कारण अनुमानित हानि (₹ करोड़ में)	3,368	3,745	5,315	6,488	6,821

(ज्ञात: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

<sup>14</sup> सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, सहकारी समितियाँ एवं बैंक।

<sup>15</sup> ब्याज भुगतान/[विगत वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं]/2] × 100

विगत पाँच वर्षों की अवधि में सरकार की ऋण लागत तथा क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेशों के प्रतिफल में अन्तर के आधार पर ₹ 25,737 करोड़ की अनुमानित हानि हुई। क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पी.एस.यू.) में निवेश पर प्रतिफल का आगणन नहीं किया जा सका। यह विशेष रूप से संज्ञान में लेने योग्य है कि निवेश पर कम प्रतिफल के बावजूद वित्त विभाग द्वारा उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को भी इक्विटी, ऋण, सहायता अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजट के माध्यम से लगातार सहायता उपलब्ध कराई जाती रही, जिन्होंने कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने लेखों को पूर्ण नहीं किया था, जिनका विस्तृत वर्णन ।।। 3.13 में किया गया है।

लाभांश नीति के अनुसार, सभी लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंश पूँजी के योगदान का न्यूनतम पाँच प्रतिशत का लाभांश भुगतान करना आवश्यक था। यद्यपि, लाभ अर्जित करने वाले 20 सार्वजनिक उपक्रमों में से मात्र 11 ने ₹ 8.56 करोड़ के लाभांश की घोषणा की और शेष नौ लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों ने ₹ 540.36 करोड़ के लाभांश की घोषणा नहीं की, जैसा कि ।।। 3.14 में वर्णित है।

#### 1.8.4 जीटी; ।।। जीके }कीक \_\_.क , ओ वफ्फेए

सहकारी समितियों, निगमों तथा कम्पनियों में निवेश के साथ–साथ सरकार इनमें से कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण तथा अग्रिम भी उपलब्ध करा रही थी। विवरण ।।। 1.31 में दर्शाया गया है।

।।। की . की 1.31: जीटी; ।।। जीके }कीक cdk; क \_\_.क , ओ वफ्फेए रफ्फेकी क्लाइंट इक्विटी, ओ व्हेक्युरक्यु  
₹ दीजीएम्प्ली

जीटी.क	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
।।। की , ओ वफ्फेक्युरक्यु दीजी की क्लाइंट वो' कीक	11,572	12,456	14,067	22,459	28,447
वर्ष के दौरान अग्रिम धनराशि	1,473	1,873	9,118	6,741	1,509
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतानित धनराशि	589	262	726	259	236
।।। की , ओ वफ्फेक्युरक्यु दीजी वफ्फेक्युरक्यु वो' कीक	12,456	14,067	22,459	28,447*	29,720
ऋणों एवं अग्रिमों में निवल वृद्धि	884	1,611	8,392	5,988	1,273
ब्याज प्राप्तियाँ	19	14	26	566	606
बकाया ऋणों एवं अग्रिमों के सापेक्ष ब्याज प्राप्तियों की प्रतिशत <sup>16</sup>	0.15	0.10	0.12	1.99	2.08
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर औसत ब्याज दर <sup>17</sup> (प्रतिशत)	6.43	6.40	6.35	6.82	6.54
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर ब्याज दर और ऋणों पर ब्याज प्राप्तियों की दर के मध्य अन्तर (प्रतिशत में)	6.28	6.30	6.23	4.83	4.46
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर ब्याज दर और ऋणों पर ब्याज प्राप्तियों के मध्य अन्तर के कारण हानि (₹ करोड़ में)	93	118	568	326	67

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

(\* ₹ 494 करोड़ जो संयुक्त उत्तर प्रदेश की अवधि का था, उत्तराखण्ड को आवंटित किया गया)

<sup>16</sup> ब्याज प्राप्ति / [(ऋण एवं अग्रिम का, प्रारम्भिक अवशेष + अन्तिम अवशेष) / 2] x 100

<sup>17</sup> ब्याज भुगतान / [(विगत वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं) / 2] x 100

वर्ष के दौरान कुल पुनर्भुगतानित धनराशि (₹ 236 करोड़) में से ₹ 102 करोड़ (43 प्रतिशत) सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुनर्भुगतानित किये गये थे। विगत पाँच वर्षों की अवधि में सरकार द्वारा दिये गये ऋणों से प्राप्त ब्याज तथा लिये गये उधार पर भुगतानित ब्याज की धनराशि में अन्तर के आधार पर सरकार को ₹ 1,172 करोड़ की अनुमानित हानि हुई।

सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण वित्त लेखे के *fooj.k & 18* के *Hkkx.d* में दिया गया है तथा उन इकाइयों का विवरण, जिनके सापेक्ष ऋण के पुनर्भुगतान अवशेष थे, वित्त लेखे के *fooj.k & 18* के *Hkkx.nks* में दिया गया है।

*/ Lrfr:* राज्य सरकार को अपने निवेश तथा विभिन्न इकाइयों को दिये गये ऋण को इस प्रकार तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे निवेश तथा ऋण पर प्रतिफल कम से कम सरकार की ऋण लागत से मेल खाये।

### 1.8.5 | koltfud futh | k>nkjh i fj ; kstu, a

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को 71 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं का विवरण (*forr ys[ks Hkkx 1* का */f/f'k"V&Vkbz*), जिसमें डेवलपर का चयन किया जा चुका है, उपलब्ध कराया गया, जिनमें ₹ 92,621.88 करोड़ की धनराशि निहित है। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रबन्धन के अन्तर्गत अपने वित्तीय उत्तरदायित्वों को सूचित नहीं किया गया।

### 1.8.6 j kdm+ vo' k's'k , o a j kdm+ vo' k's'k ds fuos' k

रोकड़ अवशेष तथा रोकड़ अवशेषों के निवेश का विवरण | *kj.kh 1.32* में दर्शाया गया है।

| *kj.kh 1.32:* j kdm+ vo' k's'k , o a j kdm+ vo' k's'k ds fuos' k

₹ djkm+ e%

fooj.k	1 vi by 2017 dks i kjfEHkd vo' k's'k	31 ekpl 2018 dks vflure vo' k's'k
<i>1/v/ kekU; j kdm+ vo' k's'k</i>		
कोषागारों में रोकड़	00	00
रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 1,280.65	265.21
मार्गस्थ प्रेषण—स्थानीय	00	00
; kx	<b>(-) 1,280.65</b>	<b>265.21</b>
रोकड़ अवशेष निवेश लेखा में रखे गये निवेश	2,168.23	11,159.38
; kx 1/v/	<b>887.58</b>	<b>11,424.59</b>
<i>1/C/ vU; j kdm+ vo' k's'k , o a fuos' k</i>		
विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़ अर्थात् लोक निर्माण के विभागीय अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, जिलाधिकारी	10.69	10.87
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.44	0.49
उद्दिदष्ट निधियों के निवेश	45.20	45.20
; kx 1/C/	<b>56.33</b>	<b>56.56</b>
egk; kx 1/v/\$ 1/C/	<b>943.91</b>	<b>11,481.15</b>

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2017-18)

वर्ष 2017-18 में, रोकड़ अवशेष निवेश खातों में निवेश राशि का प्रारंभिक अवशेष ₹ 2,168.23 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 3,52,907.61 करोड़ के ट्रेजरी बिल क्रय किये गये एवं ₹ 3,43,916.47 करोड़ की बिक्री की गयी, इस प्रकार ₹ 11,159.38 करोड़ की राशि अवशेष थी। ट्रेजरी बिल्स और लॉन्च टर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज के तहत निवेश पर ब्याज के रूप में क्रमशः ₹ 471.26 करोड़ और ₹ 15.35 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई थी।

### 1.9 | f| | Ei fRr; k| , o| ns rk; |

#### 1.9.1 | f| | Ei fRr; k| , o| ns rkvka e| of) , o| | M| VU

यद्यपि सरकारी लेखाकरण पद्धति में स्थायी परिसम्पत्तियों, जैसे सरकार के स्वामित्व में भूमि तथा भवन, का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है, तथापि राज्य सरकार के लेखे वित्तीय देयताओं तथा व्यय द्वारा सृजित की गयी परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। 31 मार्च 2017 के सापेक्ष 31 मार्च 2018 को ऐसी सम्पत्तियों तथा दायित्यों का समतुल्य सार /f/f'k"V 1.7 में दिया गया है। जहाँ दायित्व के अन्तर्गत मुख्यतः आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम और लोक लेखे एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ आती हैं, सम्पत्तियों के अन्तर्गत मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम और रोकड़ अवशेष सम्मिलित हैं।

#### 1.9.2 vkj f{kr fuf/k; k| ds vUrxlr yunu

वर्ष 2017-18 में, राज्य सरकार ने राज्य के लोक लेखे के अन्तर्गत विभिन्न आरक्षित निधियों, जो विशिष्ट उद्देश्यों हेतु सृजित किये गये थे, में ₹ 8,264.72 करोड़ का निवल अन्तरण किया। विवरण /f/f'k"V 1.8 में दिया गया है एवं | kj . kh 1.33 में सारांशीकृत किया गया है।

| kj . kh 1.33: o"kl 2017-18 e| vkj f{kr fuf/k; k| dh fLfkfr

(₹ dj km+es)

Ø-   a	ys[kk 'kh"kl	1 vi sy 2017 dks i kj feHkd vo' k"k	2017-18 ds nkjku i kfkr; kj	2017-18 ds nkjku i forj . k	31 ekpl 2018 dks vUre vo' k"k
<b>%/k C; kt   fgr vkj f{kr fuf/k; k </b>					
1	8115-मूल्यांकन/नवीकरण आरक्षित निधि निवेश	00 (-) 44.42	00	00	00 (-) 44.42
2	8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	(-) 0.06 0.06	00	00	(-) 0.06 0.06
	; kx %/k fuos'k	00 (-)44.42	00	00	00 (-)44.42
<b>%/k C; kt j fgr vkj f{kr fuf/k; k </b>					
1	8222- निक्षेप निधि	49,659.39	12,232.23	4,422.00	57,469.62
2	8223- अकाल राहत निधि निवेश	00 (-) 0.78	00	00	00 (-)0.78
3	8225- सङ्केत एवं सेतु निधि	(-)321.46	2,000.00	2,000.00	(-)321.46
4	8226- मूल्यांकन/नवीकरण आरक्षित निधि	(-)7.99	00	00	(-)7.99
5	8229- विकास एवं कल्याण निधि	888.31	218.44	143.95	962.80
6	8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	797.10	816.86	436.86	1,177.10
	; kx %/k fuos'k	<b>51,015.35</b> <b>(-)0.78</b>	<b>15,267.53</b>	<b>7,002.81</b>	<b>59,280.07</b> <b>(-) 0.78</b>
	egk; kx fuos'k	<b>51,015.35</b> <b>(-)45.20</b>	<b>15,267.53</b>	<b>7,002.81</b>	<b>59,280.07</b> <b>(-)45.20</b>

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2017-18)

वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ में 44 आरक्षित निधियां ( $\text{₹ } 51,015.35$  करोड़ के प्रारम्भिक अवशेष सहित) थीं, जिसमें से दिनांक 31 मार्च 2018 को  $\text{₹ } 20.67$  करोड़ की अवशेष राशि वाली तीन निधियाँ वर्ष 2014-18 की अवधि में असंचालित, 32 संचालित थीं एवं वर्ष के दौरान नौ निधियाँ बन्द हुई थीं। इन 32 संचालित निधियों ( $\text{₹ } 59,259.40$  करोड़ की अवशेष राशि सहित) में से 19 निधियों में शून्य अवशेष था। वर्ष 2017-18 के अन्त में इन 35 निधियों में कुल  $\text{₹ } 59,280.07$  करोड़ का संचित अवशेष था। यद्यपि यह देखा गया कि विगत पाँच वर्षों के दौरान इन आरक्षित निधियों के इस अत्यधिक अवशेष का कोई निवेश नहीं किया गया। यह भी देखा गया कि दो असंचालित आरक्षित निधियों में  $\text{₹ } 45.20$  करोड़ (जो कि डेबिट पुस्तक अवशेष था) की धनराशि मुख्य शीर्ष 8115—मूल्यहास आरक्षित निधि ( $\text{₹ } 44.42$  करोड़) तथा मुख्य शीर्ष 8223—अकाल राहत निधि ( $\text{₹ } 0.78$  करोड़) का निवेश दशकों पूर्व किया गया था, लेकिन खाते में कोई व्याज क्रेडिट नहीं हुआ।

आरक्षित निधियों के अन्तर्गत हस्तान्तरण तथा उससे वितरण समेकित निधि के उपयुक्त राजस्व एवं व्यय शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट एवं क्रेडिट प्रविष्टियों के माध्यम से प्रभावित होती हैं। ये केवल तभी वास्तविक नकद हस्तान्तरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, यदि ये रिजर्व बैंक जमा (आर.बी.डी.) को सीधे या निवेश के माध्यम से प्रभावित करते हों। वर्ष 2017-18 के दौरान, आरक्षित निधियों में  $\text{₹ } 15,268$  करोड़ का अन्तरण एवं उसमें से  $\text{₹ } 7,003$  करोड़ का वितरण (अर्थात्  $\text{₹ } 8,265$  करोड़ का निवल अन्तरण) केवल पुस्तक प्रविष्टियाँ ही थीं। चूंकि इसमें वास्तविक नकद बहिर्वाह नहीं था, राज्य सरकार द्वारा आरक्षित निधियों के सापेक्ष प्रदर्शित लेन देन केवल पुस्तक प्रविष्टियाँ ही थीं, जो आरक्षित निधियों के सृजन एवं संचालन के मूलभूत विचारधारा का उल्लंघन करती हैं।

तथापि, इन निधियों में कई वर्षों से पड़े हुए बकाया अवशेष राज्य की बड़ी देनदारी को दर्शाते हैं। विशिष्ट आरक्षित निधियों के सापेक्ष ऋणात्मक तथा डेबिट अवशेषों को समेकित निधि से विनियोग द्वारा विनियमितीकरण कराये जाने की आवश्यकता है। कुछ मुख्य आरक्षित निधियों के लेनदेनों के सम्बन्ध में विस्तृत विश्लेषण आगे के प्रस्तरों में किया गया है।

/ɪ/rɪʃt/ वित्त विभाग को आरक्षित निधियों के अन्तर्गत लेनदेन एवं अवशेषों का रख-रखाव पुस्तक प्रविष्टियों के माध्यम से किये जाने की समीक्षा करनी चाहिये तथा नकद लेखांकन के सिद्धांतों का पालन भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अवशेषों के वास्तविक निवेश के माध्यम से करना चाहिए।

### 1.9.2.1 fu{kɪ fuf/k

| eʃdɹ̩ fu{kɪ fuf/k dk | `tu

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार को बकाया दायित्वों<sup>18</sup> के परिहार हेतु समेकित निक्षेप निधि (स.नि.नि.) का सृजन करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, जो इनके संचालन के लिए उत्तरदायी है, के दिशानिर्देशों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया दायित्वों के 0.5 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक अंशदान किया जाना चाहिए था। तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में इस निधि

---

<sup>18</sup> राज्य सरकार के आन्तरिक ऋणों एवं लोक लेखे दायित्वों के द्वारा परिभाषित।

में ₹ 2,116.12 करोड़ की राशि (दिनांक 31 मार्च 2017 को बकाया दायित्व ₹ 4,23,223.78 करोड़ का 0.5 प्रतिशत) का अंशदान किया जाना अपेक्षित था।

तथापि, राज्य सरकार ने इन दिशानिर्देशों<sup>19</sup> के संदर्भ में स. नि. नि. (मौजूदा निधि को सम्मिलित करते हुये) की स्थापना के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

### orleku fu{ki fuf/k dk | pkyu

वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार ने ऋण में कमी या परिहार (मुख्य शीर्ष 2048 के अन्तर्गत) के लिए ₹ 12,232.23 करोड़ का प्रावधान किया और पुस्तकीय हस्तान्तरण के द्वारा लोक लेखे के अन्तर्गत निक्षेप निधि (मुख्य शीर्ष 8222) में हस्तान्तरित किया। इस निधि में से, बिना किसी नकद बहिर्प्रवाह के, बाजार ऋण के पुनर्भुगतान के समतुल्य ₹ 4,422 करोड़ की राशि को समेकित निधि के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों (मुख्य शीर्ष 0075—विविध सामान्य सेवाओं) के अन्तर्गत, अन्तरित किया गया। निक्षेप निधि से राजस्व खाते में अन्तरित धनराशि (₹ 4,422 करोड़) से वर्ष के राजस्व आधिक्य में अतिशयता हुई।

अन्य राज्य सरकारों द्वारा, जिन्होंने बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये स. नि. नि. का सृजन किया है, के विपरीत उत्तर प्रदेश सरकार के निक्षेप निधि के लेनदेन केवल पुस्तक प्रविष्टियां हैं और रोकड़ के वास्तविक लेनदेन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। यह निक्षेप निधियों के गठन की अन्तर्निहित भावना के प्रतिकूल है। अग्रेतर, 31.03.2018 को निक्षेप निधि के अन्तिम अवशेष ₹ 57,469.61 करोड़ का निवेश नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, निक्षेप निधि में ₹ 7,810 करोड़ के निवल वृद्धि के परिणामस्वरूप राज्य की बकाया देनदारियों में उतनी ही राशि के समान वृद्धि हुई।

/ १८५८% राज्य सरकार द्वारा बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये आर.बी.आर्ज. द्वारा निवेश किए जाने वाले समेकित निक्षेप निधि का गठन किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, निधि से स्थानान्तरित धनराशि को राजस्व प्राप्ति नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधि की शेष राशि वास्तव में निवेश की जाये और वह मात्र पुस्तक प्रविष्टि न हो।

### 1.9.2.2 jkt; | Md , o॥ | ॥fuf/k

राज्य सरकार द्वारा सङ्कों एवं संचार (सेतुओं) के विकास पर व्यय करने हेतु सङ्क एवं सेतु निधि का सृजन किया गया। वर्ष 2017-18 में, राज्य सरकार ने सङ्क और सेतुओं पर क्रमशः राजस्व और पूंजीगत व्यय से सम्बन्धित ₹ 1,500 करोड़ एवं ₹ 500 करोड़ का प्रावधान मुख्य शीर्ष 3054 एवं मुख्य शीर्ष 5054 के अन्तर्गत किया और इन राशियों को आरक्षित निधि मुख्य शीर्ष 8225—सङ्क एवं सेतु निधि में स्थानान्तरित कर दिया। वर्ष के दौरान समान राशि (अर्थात् क्रमशः ₹ 1,500 करोड़ और ₹ 500 करोड़) सङ्क और सेतुओं पर व्यय के रूप में दर्शाये गये और क्रमशः मुख्य शीर्ष 3054 और 5054 के अन्तर्गत कटौती प्रविष्टियों के रूप में लेखांकित किये गये। इस संबंध में, लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि:

<sup>19</sup> जैसा कि इन राज्यों ने दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की है—आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा तथा जम्मू-कश्मीर।

- राज्य सरकार कई वर्षों से मुख्य शीर्ष 3054/5054 और मुख्य शीर्ष 8225—सड़क एवं सेतु निधि के बीच ऐसे एकरूप स्थानान्तरण और विपरीत स्थानान्तरण कर रही है।
- अग्रेतर, 31 मार्च 2018 को निधि में (–)₹ 321.46 करोड़ का ऋणात्मक शेष था, जो उपलब्ध अवशेष से अधिक भुगतान का संकेत देता है। यह ऋणात्मक आंकड़ा वर्ष 2014-15 के लेखे से प्रदर्शित हो रहा है। ऋणात्मक शेष राशि को समेकित निधि से विनियोग द्वारा नियमित किया जाना है।

/ Lrfr % वित्त विभाग द्वारा अविलम्ब ऋणात्मक शेष (–)₹ 321.46 करोड़ को नियमित किया जाना चाहिए।

#### 1.9.2.3 jkt; vki nk vufØ; k fuf/k (jk vk v fu)

jk vk v fu +dk c; kt okys vkj f{kr fuf/k e{ ys[kkdu u fd; k tkuk

भारत सरकार (भा.स.) द्वारा 1 अप्रैल 2010 से भूतपूर्व आपदा राहत निधि को राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (रा.आ.अ.नि.) से प्रतिस्थापित किया गया। रा.आ.अ.नि. के दिशानिर्देश में निम्नलिखित निर्धारित है:

- निधि को मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों-122-राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के अधीन “ब्याज सहित आरक्षित निधि” की श्रेणी के अन्तर्गत संचालित किया जाना चाहिए।
- भारतीय रिजर्व बैंक के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के अनुसार ओवरड्राफ्ट पर लागू ब्याज दर पर राज्य सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. को ब्याज का भुगतान किया जायेगा।

यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. को मुख्य शीर्ष 8235—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों-111-राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के अधीन “ब्याज रहित आरक्षित निधि” की श्रेणी के अन्तर्गत ही संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निधि के अवशेषों का निवेश भी नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, निधि के अवशेष मात्र पुस्तकीय प्रविष्टियाँ हैं एवं वार्तविक नकद शेषों को प्रदर्शित नहीं करती। अग्रेतर, वित्त लेखे वर्ष 2017-18 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के लिये ब्याज ₹ 37.22 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने बताया (जून, 2018) कि वर्ष के अन्त में निधि में एक नगण्य राशि अवशेष रहती है जिससे निधि को “ब्याज सहित आरक्षित निधि” के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है एवं ब्याज भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उत्तर प्रासंगिक नहीं है। निधि को “ब्याज रहित आरक्षित निधि” में श्रेणीबद्ध किये जाने एवं निधि में अवशेष राशि का निवेश न करने या उस पर ब्याज का भुगतान न करने से, अवशेष निधि अनिवार्य रूप से मात्र पुस्तकीय प्रविष्टियाँ हैं जो निधि के दिशानिर्देशों की मूल भावना एवं शासकीय लेखे, जो रोकड़ आधारित लेखांकन के सिद्धान्त का पालन करता है, के प्रतिकूल हैं।

राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि (एन०डी०आर०एफ०) के दिशानिर्देशों (जुलाई 2015) के अनुसार, जब एस०डी०आर०एफ० के अन्तर्गत उपलब्ध अवशेष से अधिक खर्च की आवश्यकता हो, तो प्राकृतिक आपदाओं के लिये भारत सरकार एन०डी०आर०एफ० से राज्यों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है, जिसके लिये राज्य के अंश की आवश्यकता नहीं होती है। दिशा निर्देशों के प्रस्तर 11.3 एवं 11.4 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अपने बजट के व्यय पक्ष में लेखाशीर्ष 2245-80-103 के अन्तर्गत समुचित बजट प्रावधान किया जायेगा तथा एन०डी०आर०एफ० से किये गये वास्तविक व्यय को इसके अन्तर्गत पुस्तांकित किया जाना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा लोक लेखे से सीधे व्यय नहीं किया जाना चाहिये।

वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार ने ₹119.67 करोड़ की राशि राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से प्राप्त की जिसे मुख्य शीर्ष 1601- भारत सरकार से सहायता अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित किया गया एवं प्राप्ति के रूप में माना गया। तथापि, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 2245-80-103 –राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से सहायता के अन्तर्गत न कोई बजट प्रावधान किया गया और न ही कोई व्यय पुस्तांकित किया गया। अतः वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से प्राप्त ₹ 119.67 करोड़ का अनुदान राज्य आपदा अनुक्रिया निधि में स्थानान्तरित नहीं की गई। जिसके कारण ₹119.67 करोड़ से राज्य सरकार के राजस्व आधिक्य में अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में न्यूनता हुई है।

147% राज्य सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. की अवशेष राशि को मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि ‘ब्याज सहित आरक्षित निधि’ की श्रेणी में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए एवं रा.आ.अ.नि. के दिशानिर्देशों अनुसार अर्जित ब्याज निधि में जमा किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को दिशानिर्देशों में निर्धारित शैली में निधि के अवशेषों का निवेश करने की भी आवश्यकता है।

### 1.9.3 व्यक्तिगत व्ययों का अधिकारी की वित्तीय व्यवस्था

#### 1.9.3.1 व्यक्तिगत व्ययों का अधिकारी की वित्तीय व्यवस्था

प्रत्याभूतियों के प्रतिदान के उद्देश्य के लिये, बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार को प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन किया जाना अपेक्षित था। जबकि राज्य सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन नहीं किया। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों 2013 के अन्तर्गत, इसके लिये ₹ 290.75 करोड़ का न्यूनतम वार्षिक अंशदान (वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ की बकाया प्रत्याभूति ₹ 58,149.03 करोड़<sup>20</sup> का 0.5 प्रतिशत) किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया। इसके कारण ₹ 290.75 करोड़ से राजस्व आधिक्य में अतिशयता तथा राजकोषीय घाटे में न्यूनता हुई है।

वित्त लेखे के फूजि.कैंपूर्स के अनुसार, सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि एवं विगत तीन वर्षों से बकाया का विवरण। **कृ.कृ 1.34** में दर्शाया गया है।

<sup>20</sup> बकाया प्रत्याभूतियों के वर्ष 2016-17 के अन्तिम अवौष्ठ (₹ 55,825 करोड़) एवं वर्ष 2017-18 के प्रारम्भिक अवौष्ठ (₹ 58,149 करोड़) में ₹ 2,324 करोड़ का अन्तर है, जिनका मिलान प्रक्रियाधीन है।

### I kj . kI 1.34: सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियाँ

(₹ Cr. M+es)

fooj . k	2015-16	2016-17	2017-18
प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि (मूलधन)	78,826	66,702 <sup>21</sup>	74,303
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	2,27,076	2,56,875	2,78,775
वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूतियों की राशि	57,618	55,825	74,841
कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि की प्रतिशतता	34.71	25.97	26.65

(चोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

प्रत्याभूतियों की अधिकतम धनराशि के संघटक थे: उर्जा क्षेत्र की चार संस्थाएँ<sup>22</sup> (₹ 65,507 करोड़), दो सहकारी बैंक<sup>23</sup> (₹ 4,583 करोड़), अन्य क्षेत्रों की नौ संस्थाएँ<sup>24</sup> (₹ 3,002 करोड़) एवं उ.प्र. राज्य वित्तीय निगम (₹ 1,211 करोड़)।

#### 1.9.3.2 i R; khkfr ' kyl d

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार, प्रत्याभूति के खतरों की गंभीरता के पूर्वानुमान के आधार पर प्रत्याभूति शुल्क के माध्यम से प्रत्याभूति विमोचन निधि की स्थापना की जानी चाहिये। राज्य सरकार ने 16 संस्थानों को प्रतिभूतियाँ दीं, जिनमें से केवल दो संस्थानों को प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान करना था एवं शेष 14 संस्थानों<sup>25</sup> को इससे छूट प्राप्त थी। यह पाया गया कि दोनों संस्थानों द्वारा देय ₹ 10.56 करोड़ के सापेक्ष केवल राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा ₹ 0.82 करोड़ का भुगतान किया गया जबकि राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा ₹ 9.74 करोड़ की प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया गया।

/ Lf/r/: बारहवें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार को प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन एवं संचालन करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति शुल्क तत्परता से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाना चाहिये। शासन द्वारा उन संस्थानों को वित्तीय सहायता रोक दी जानी चाहिये जिनके द्वारा प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है एवं/अथवा जिनके लेखे बकाया हैं।

<sup>21</sup> वर्ष के दौरान ₹ 36,282 करोड़ की प्रत्याभूति उन्मोचन के कारण कमी हुई, जो सम्बन्धित थे— उ.प्र. ऊर्जा निगम लिमिटेड (₹ 33,726 करोड़), उ.प्र. विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 270 करोड़), उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 71 करोड़), उ.प्र. सहकारिता ग्राम विकास बैंक लिमिटेड (₹ 627 करोड़), उ.प्र. सहकारिता चीनी मिल फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ (₹ 1,584 करोड़) एवं सहकारिता कताई मिल फेडरेशन (चाचा करोड़)।

<sup>22</sup> उ.प्र. ऊर्जा निगम लिमिटेड, उ.प्र. विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

<sup>23</sup> उ.प्र. सहकारी बैंक लिमिटेड एवं उ.प्र. सहकारिता ग्राम विकास बैंक लिमिटेड।

<sup>24</sup> उ.प्र. सहकारी चीनी मिल फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ, उ.प्र. प्रादेशिक औद्योगिक एवं निवेश निगम लिमिटेड, उ.प्र. पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, उ.प्र. राज्य हार्टिको आई टी आर कम्पनी लिमिटेड बरेली, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर, सहकारी कताई मिल निगम, उ.प्र. राज्य वस्त्र निगम कानपुर, उ.प्र. (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड, उ.प्र. (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड मुजफ्फरनगर, उ.प्र. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड।

<sup>25</sup> उ.प्र. ऊर्जा निगम लिमिटेड, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उ.प्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ, उ.प्र. प्रादेशिक औद्योगिक एवं निवेश निगम लिमिटेड, उ.प्र. पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, उ.प्र. राज्य हार्टिको आई टी आर कम्पनी लिमिटेड बरेली, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर, सहकारी कताई मिल निगम, उ.प्र. राज्य वस्त्र निगम कानपुर, उ.प्र. (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड, उ.प्र. (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड मुजफ्फरनगर, उ.प्र. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उ.प्र. राज्य वित्तीय निगम लिमिटेड।

### 1.10 लोक ऋणों की निधियों की निवल उपलब्धता

1.10.1 लोक ऋणों की निधियों की निवल उपलब्धता का विवरण दर्शाया गया है।

लोक ऋणों की निधियों की निवल उपलब्धता 1.35% है।

लोक ऋणों की निधियों की निवल उपलब्धता	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
लोक ऋणों एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	55,057	71,455	1,13,502	1,13,172	90,052
लोक ऋणों एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	50,316	64,103	75,557	84,034	74,570
उपलब्ध निवल निधियाँ	4,741	7,352	37,945	29,138	15,482
उपलब्ध निवल निधियों से लोक ऋणों की प्राप्तियों की प्रतिशतता	8.61	10.29	33.43	25.75	17.19

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.35 से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-18 में उधार ली गयी निधियों का 82.81 प्रतिशत वर्तमान उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु उपयोग किया गया एवं राज्य के विकास कार्यकलापों/पूँजी संचय हेतु उपयोग नहीं किया जा सका। उत्तर प्रदेश की उधार लिये गये निधियों की निवल उपलब्धता (17.19 प्रतिशत) अन्य राज्यों यथा छत्तीसगढ़ (35.01 प्रतिशत) एवं झारखण्ड (22.24 प्रतिशत) से तुलनात्मक रूप से कम थी यद्यपि यह मध्य प्रदेश (13.37 प्रतिशत) एवं बिहार (15.15 प्रतिशत) से अधिक थी।

### 1.10.2 उधार ली गयी निधियों की निवल उपलब्धता

ऋण संवहनीयता राज्य द्वारा भविष्य में इसके ऋणों के उन्मोचन की क्षमता का सूचक है। वर्ष 2013-14 से पाँच वर्षों की अवधि के लिये ऋण संवहनीयता के संकेतकों को लोक ऋणों की निवल उपलब्धता 1.36% में दर्शाया गया है।

लोक ऋणों की निवल उपलब्धता 1.36% है।

लोक ऋणों की निवल उपलब्धता	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
उधार ली गयी निधियों की निवल उपलब्धता	4,741	7,352	37,945	29,138	15,482
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियों का अनुपात)	10.35	9.75	9.45	10.48	10.45
राजस्व प्राप्तियाँ	1,68,214	1,93,422	2,27,076	2,56,875	2,78,775
बकाया ऋण (वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 हेतु उदय को छोड़कर)	2,81,709	3,07,859	3,42,920	4,08,422	4,67,842
बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9	9	11	19	15
बकाया ऋण (राजकोषीय देयतायें)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	30	30	30	33	34
ब्याज भुगतान	17,412	18,865	21,448	26,936	29,136
बकाया ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	6.43	6.40	6.35	6.82	6.54

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

ऋण संवहनीयता के सन्दर्भ में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में स्थिर रहे। यद्यपि, राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान का अनुपात वर्ष 2015-18 की अवधि में 9.45 प्रतिशत से बढ़कर 10.45 प्रतिशत हो गया और इसी अवधि में स.रा.घ.उ. के सापेक्ष ऋण का अनुपात भी 30 प्रतिशत से बढ़कर 34 प्रतिशत हो गया।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर (जून 2019) में दृढ़तापूर्वक कहा कि 31 मार्च 2018 को राज्य सरकार का बकाया ऋण लेखापरीक्षा द्वारा दर्शित ₹ 4,67,842 करोड़ के सापेक्ष ₹ 4,08,716.49 करोड़ था। राज्य सरकार ने अग्रेतर कहा कि बाजार ऋण की परिपक्वता पर एकमुश्त ऋण परिशोधन हेतु निक्षेप निधि का सृजन किया गया था। तदनुसार, इस उद्देश्य हेतु बाजार ऋण की परिपक्वता राशि के सापेक्ष राजस्व शीर्ष से आवर्ती आधार पर किश्तों में निधियों का हस्तान्तरण किया गया था। बाजार ऋण के पुनर्भुगतान के लिए, लेखाशीर्ष “6003- राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण” में निधि प्रावधानित थी एवं समतुल्य धनराशि निक्षेप निधि लेखाशीर्ष “8222- निक्षेप निधि” से डेबिट करते हुए लेखाशीर्ष “0075- विविध सामान्य सेवाएँ” में राजस्व प्राप्ति के रूप में जमा किया गया था। इस प्रकार, लोक ऋण के अन्तर्गत बाजार ऋण का भाग निक्षेप निधि के अवशेष में सम्मिलित था जो वित्त लेखे में दायित्व के रूप में प्रदर्शित था। अतः, इस कारण से, वित्त लेखे में दर्शाये गये राज्य सरकार के बकाया दायित्व को निक्षेप निधि की अवशेष के समान राशि तक बढ़ा दिया।

राज्य सरकार का तर्क स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निक्षेप निधि उस सीमा तक जो निवेश नहीं किया गया, राज्य सरकार के दायित्व का सृजन करता है। अग्रेतर, 31 मार्च 2018 को निक्षेप निधि के अन्तर्गत बकाया अवशेष ₹ 57,469.61 करोड़ का निवेश राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया था। प्रासंगिक है कि, जब भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा भी वर्ष 2017-18 के लिए राज्य सरकार की वार्षिक उधार की अन्तिम सीमा को सूचित (अगस्त 2017) किया गया था, तब भी यह उल्लेख किया गया था कि खुले बाजार उधार, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों, लोक लेखे के अतिरिक्त अन्य दायित्वों यथा लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमाएं आदि के हस्तान्तरण से उत्पन्न दायित्व उधार में सम्मिलित है, जैसा कि राज्य के वित्त लेखे के fooj . k&6 में प्रदर्शित है।

## 1.11 vuprhl dk; bkgh

वर्ष 2008-09 से राज्य के वित्त पर आधारित प्रतिवेदन पृथक से तैयार किया जा रहा है एवं राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जा रहा है। लोक लेखा समिति द्वारा इस प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।